पत्रिका के लिए सम्पर्क

मध्यप्रदेश

सौसर	- लीलाधर सोमकुवर	8878577473
	मोरेश्वर रंगारे	9617145254
पांढुर्णा	- सुभाष सहारे	9753899561
	राजेन्द्र सोमकुवर	9893378559
बोरगाव (रेमण्ड)	अशोक कडबे	9424938454
सिवनी	- पी.सी. टेम्भरे	9425426500
जबलपुर	- एल.एम.खोब्रागडे	9685572100
	डोमाराव खातरकर	9770026154
भोपाल	- राहुल रंगारे	9893690451
सिहोर	- रवीन्द्र बांगरे	9425842508
छिन्दवाड़ा	- एस.सी.भाऊरजार	9893880415
सारणी	- किरण तायडे	9407282113
गुना	- लक्ष्मणसिंह बौद्ध	9827309472
दतिया	- आशाराम बौद्ध	9893997750
मंडला	- अमरसिंग झारीया	9993881515

छत्तीसगढ़

चरोदा (भिलाई)	- मोरश्वर मेश्राम	9827871848
रायपुर	- सुनील गणविर	9753232894
राजनांदगाव	- रामप्रसाद नंदेश्वर	8103907945
बिलासपुर	- हरीश वाहाने	9424169477
चाम्पा	- संजीव सुखदेवे	9425575730
सारंगढ़	- नरेश बौद्ध	7828173910

उत्तरप्रदेश

लखनऊ	- निगमकुमार बौद्ध	9415750896
मोठ(झांसी)	- महेश गौतम	9452118038
आगरा	- जितेन्द्र प्रसाद	9927256608
झांसी	- अमरदीप	9695529570

महाराष्ट्र

नागपुर	- दादाराव वानखेडे	9423102300
जाफराबाद	- बुद्धप्रिय गायकवाड	9764538108
अमरावती	- बापू बेले	9403593773
मोर्शी	- देवेन्द्र खांडेकर	9370197740
पुणे	- प्रशांत घंघाळे	9765915686
मूल	- हंसराज कुंभारे	9763694293
मुम्बई	- राजु कदम	9224351635
वरोरा	- भाऊराव निरंजने	7875902211
चंद्रपुर	- रामभाऊ वाहाने	9421879386
ब्रह्मपुरी	- प्रा. एस.टी.मेश्राम	9766938647

त्रैमासिक
प्रज्ञा प्रकाश

अनुक्रमणिका

- संपादकीय 02
- क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति - बाबासाहेब आंबेडकर..... 03
- मुझे निष्ठावान लोग चाहिये - बाबासाहेब आंबेडकर 06
- बुद्ध और उनका धम्म

  कुलीनों तथा पवित्रों की धम्म -दीक्षा.....09
- वर्तमान घटनाक्रम..... 11

  आकड़ेवारी 15
- न्यायपालिका 25
- समिति द्वारा सम्पन्न कार्यक्रम 27
- समिति के आगामी कार्यक्रम 30

त्रैमासिक
प्रज्ञा प्रकाश

नियमित पढ़िए और दूसरों को पढ़ने दें.
क्योंकि यह भी एक समाजकार्य है.

प्रज्ञा प्रकाश की वार्षिक सदस्यता - रू. 80

सदस्यता राशि इस पते पर भेजें
ह्रदेश सोमकुवर,
सम्पादक
'प्रज्ञा प्रकाश' 363, बाबा बुद्धाजी नगर,
कामठी रोड, नागपुर-440 017.

संपादकीय

आज देश में चारों ओर चुनाव का माहौल है। हर पार्टी के प्रतिनिधियों ने इस देश के आम मतदाताओं को मुर्ख बनाने का काम जोरों से शुरु किया है। वास्तव में इस देश का मतदाता मुलरुप से मुर्ख है क्योंकि वह अपने मत की कीमत नहीं समझ पाया है। भावनावश या स्वार्थवश वह अपने शोषक को ही चुनता है और अगले पांच वर्ष तक शोषण का शिकार बना रहता है। किसी की भी सरकार बनें उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता और वह अपने जीवन को हमेशा की तरह जीते रहता है। वह इस बात से बेखबर है की उसकी स्थिति के लिए शासन जिम्मेदार है। इसलिए जस्टिस मार्केडेय ने कहा था कि इस देश के 90 प्रतिशत लोग मुर्ख है। शासनकर्ता भी उसे मुर्ख बनाये रखना चाहते है ताकि वह अबाधित रुप से शासन करते रहे।

भारत में शासनकर्ता मुख्य रुप से काँग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी के रहे है। दोनों पार्टीयों के प्रतिनिधी अपने-अपने स्वार्थ के लिए एक-दुसरे पर आरोप लगाते है, जनता के हित की बात कहते है और मतदाताओं की मुर्खता का लाभ उठाकर चुनाव जीतते है और शासन करते है। जो पार्टी मुर्खता का अधिक लाभ लेने में सफल रहती है वहीं शासन करती है। राज्यों में क्षेत्रिय पार्टीयां भी यही काम करती है। अभी-अभी आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आयी है उसे दिल्ली में सफलता भी मिली है। वह आम आदमी को राहत दिलाने की घोषणायें करती है परन्तु उसे कुछ करने का अवसर नहीं मिला है। इसलिए लोकहित में अभी उसकी कार्यप्रणाली को समझ नहीं पाये है।

दलितों की पार्टीयां और आंबेडकरी कही जानेवाली पार्टीयों की स्थिति यह है कि कोई भाजपा या काँग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे है तो कोई उनके साथ विलय कर रहे है। भाजपा और काँग्रेस ब्राह्मणवादी विचारधारा की पार्टीयां है और बाबासाहेब की विचारधारा ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध है। इन आंबेडकरी कही जानेवाली पार्टीयों के नेता आंबेडकरवादी कहलाते है और ब्राह्मणवादीओं का साथ देते है। इसप्रकार वह आंबेडकरवादी जनता के साथ धोखा कर रहे है।

जहां तक आंबेडकरवादी जनता का सवाल है, इनमें कुछ भावनिक है जो सोचते ही नहीं, कुछ सोचते है जो निराश है, कुछ अवसरवादी है जिन्हें स्वार्थ के अलावा विचारधारा से कोई मतलब नहीं है ऐसे लोग बाजारू माल की तरह है जिन्हें कोई भी आसानी से खरीद लेता है। इस तरह राजनीतिक क्षेत्र में आंबेडकरवाद है ही नहीं। हां, इनमें से हर कोई बाबासाहेब का नाम जरूर लेता है, उनकी विचारधारा को बताता है परन्तु करता ठीक उसके विपरीत है।

आंबेडकरी आन्दोलन की स्थिति बड़ी निराशाजनक है। इस स्थिति के लिए हम आंबेडकरवादी ही जिम्मेदार है। हम या तो बाबासाहेब द्वारा बताये गये मार्ग को ठीक से समझ नहीं पाये या समझ गये तो उस पर चल नहीं पाये। हम अपनी कमजोरी और ब्राह्मणी प्रभाव के शिकार हुये है। हमें स्वयं का निरिक्षण करने की आवश्यकता है। हमें स्वाभिमान जागृत करने की आवश्यकता है। हमें नीतिमान बनने की आवश्यकता है।

नेतृत्व नीतिमान होता है तो अनुयायी भी नीतिमान होते है। हमारे समाज में और देश में नैतिकता का अभाव है। विकास कितना भी हो जायं यदि नैतिकता नहीं है तो अराजकता बनी रहेंगी और लोग दुखी रहेंगे। नैतिकता नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार और अन्य बुराईयां पनप रहीं है। यदि सभी बुराईयों से मुक्ति चाहिये तो नैतिकता प्रस्थापित करनी होगी। यदि नैतिकता प्रस्थापित करनी है तो बुद्ध धम्म का आचरण करना होगा क्योंकि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है।

मैं संपूर्ण भारत बौद्धमय करूंगा !

-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

गतांक से आगे...

6.
ब्राम्हण साहित्य
I

बुद्ध धम्म के पतन के कारणों से संबंधीत तथ्यों को उस ब्राम्हण साहित्य से छान-बीन कर एकत्र किया जाना चाहिए, जो पुष्यमित्र की राजनितीक विजय के बाद लिखा गया था।

इस साहित्य को छह भागों में बाटा जा सकता है : (1) मनुस्मृती (2) गीता, (3) शंकराचार्य का वेदांत (4) महाभारत (5) रामायण और (6) पुराण। मैं इस साहित्य का विश्लेषण केवल इसी उद्देश्य से कर रहा हूं कि इससे उन तथ्यों का पता चल जाए, जो अनुमानतः बौद्ध धर्म के पतन के कारण रहे होंगे। चूंकि साहित्य समाज का ऐसा दर्पण होता है, जिसमें लोगों का जीवन देखा जा सके। यह कोई अनुचित कार्य नही होगा। एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं। उसका संबंध इस साहित्य के रचना-काल से है। हो सकता है, सभी इसे स्विकार कर करे कि यह साहित्य पुष्यमित्र की क्रांति के बाद की रचना है। इस तथ्य के विपरीत अधिकांश हिंदू, चाहे परंपरावादी हो या विरोधी, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, इस बात में अटूट विश्वास रखते है कि उनका पवित्र साहित्य अति प्राचीन है। अपने धार्मिक साहित्य को सबसे प्राचीन साहित्य मानना उनके लिए किसी धार्मिक सिद्धांत के मानने जैसा ही है।

मनु के काल-निर्धारण के प्रसंग में मैने संदर्भ देते हुए बताया था कि मनुस्मृति की रचना इसा पूर्व 185, अर्थात पुष्यमित्र की क्रांति के बाद सुमति भार्गव द्वारा की गई थी। इस विषय में मुझे अधिक कुछ नही कहना है।

भगवतगीता के लेखन काल के बारे में अनेक मतभेद है। श्री तेलंग के अनुसार गीता तिसरी सदी ईसवी पूर्व के पहले की रचना होनी चाहिए, किंतु कितने समय पहले, इस बारे में वह मौन है।

प्रो. गार्बे का कहना है1 गीता का वर्तमान स्वरुप उसके मूल स्वरुप से भिन्न है।' अनेक भारतविद् भी अब यह मानने लगे है कि भगवतगीता जिस रुप में आज उपलब्ध है, उसमें समय-समय पर अनेक मुलभूत रुपांतरण होते रहे है। प्रो. गार्बे बताते है : 'गीता में एक सौ छियालीस श्लोक नए है। ये श्लोक मूल गीता में नही थे। उसके रचना काल के बारे में प्रो. गार्बे ने कहा है, 'संभवतः इसे ईसा पूर्व दूसरी सदी से पहले की रचना नही माना जा सकता।

प्रो. कोसांबी गीता को बालादित्य सम्राट के शासन काल की रचना मानते है बालादित्य गुप्त वंश का सम्राट था, जिसने राजवंश सत्ताच्युत कर दिया था। वह सन 467 में राजगद्दी पर बैठा। गीता को इसके बाद की रचना मानने के उन्होंने दो कारण बताए है। शंकराचार्य से पूर्व (जन्म 788- मृत्यु 820) उन्होंने भगवतगीता की टिप्पणी लिखी, इससे पहले वह अज्ञात रचना थी। शांतरक्षित के तत्वसंग्रह में इसका की भी उल्लेख नही मिलता, जब कि यह ग्रंथ शंकराचार्य के आगमन के केवल पचास वर्ष पहले लिखा गया था। उन्होंने दूसरा कारण यह बताया है कि वसुबंधु 'विज्ञानवाद' नामक एक संप्रदाय का प्रणेता था। शंकराचार्य के ब्रम्ह सुत्र भाष्य में इस विज्ञानवाद की आलोचना मिलती है। गीता2 में एक जगह ब्रम्ह सुत्र भाष्य का उल्लेख मिलता है। गीता को वसुबंधु और ब्रम्ह सुत्र भाष्य के बाद की रचना माना जाना चाहिए। वसुबंधु गुप्तवंशीय नरेश बालादित्य का गुरु था। तद्नुसार यह माना जा सकता है कि गीता की रचना या तो बालादित्य के शासन काल में हुई होगी या उसके बाद।

शंकराचार्य के काल-निर्धारण के बारे में इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नही है। उनके जीवन-काल और रचना-काल के बारे में अब सामान्यतः एक ही स्विकार्य मत पाया जाता है। पर हां, उनकी जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में अधिक शोध की आवश्यकता है। इस विषय पर मैं अन्यत्र अपने विचार प्रकट करुंगा। यहां बस इतना कहना ही पर्याप्त

होगा।

महाभारत के रचना-काल का ठीक-ठीक निर्धारण करना लगभग असंभव है। इसके रचना-काल के निर्धारण के बारे में कुछ प्रयत्न किया जा सकता है। महाभारत के अब तक तीन संस्करण माने जा सकते है। प्रत्येक संपादक ने उसके नाम और कथावस्तु में भी परिवर्तन किया। अपने मूल रुप में यह ग्रंथ जय नाम से जाना जाता था। यह नाम तृतीय संस्करण के आरंभ और अंत, दोनों स्थानों में आया है। जय नामक यह मूल ग्रंथ किसी व्यास नाम के लेखक की रचना था। इसका दूसरा संस्करण भारत कहलाया। इसका संपादक कोई वैशम्पायन नाम का व्यक्ति था। वैशम्पायन का संस्करण भारत का अकेला द्वितीय संस्करण नही था। वैशम्पायन के अतिरिक्त व्यास के और भी कई शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख चार थे, सुमंतु, जैमिनी, पैल, और शुक। इन सभी ने व्यास से शिक्षा पाई थी। सभी ने भारत के अपने-अपने संस्करण तैयार किए। इस तरह तब भारत के चार और संस्करण तैयार हुए। वैशम्पायन ने इन चारों संस्करणों की पुनर्रचना कर अलग से अपना संस्करण तैयार किया। तीसरे संस्करण का संपादक सौति था। उसने वैशम्पायन के भारत को नया रुप प्रदान किया। सौति का यही संस्करण आगे चलकर महाभारत कहलाया। आकार और कथावस्तु, दोनों ही रुपों में यह संस्करण अपने पूर्ववर्ती संस्करण का विस्तार था। व्यास का जय काव्य एक लघु काव्य थ, जिसमें 8,800 से अधिक श्लोक नही थे। वैशम्पायन के संस्करण में इस काव्य के श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। सौति के महाभारत में 96,836 श्लोक है। कथावस्तु की दृष्टि से व्यास के जय काव्य में केवल कौरवों और पांडवो के युद्ध की कथा थी। वैशम्पायन की कलम ने इस कथा सुत्र में नैतिक उपदेशों को पिरो दिया। इस तरह एक विशुद्ध ऐतिहासिक कृति रुपांतरित होकर एक उपदेश प्रधान रचना बन गई, जिसका उद्देश्य सामाजिक, नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों के नियम सिखाना था। सौति ने अंतिम संपादक के रुप में इस कृति को पौराणिक गाथाओं का एक विशाल भंडार बना दिया। भारत काव्य में जितनी भी प्रचलित दंतकथाएं या स्वतंत्र रुप से विख्यात जो भी ऐतिहासिक आख्यान थे, उन सबको सौति ने इस काव्य में सम्मिलित कर दिया, ताकि वे विस्मृत न हो जाएं अथवा कम से कम सभी एक स्थान पर मिल जाएं। सौति की एक अन्य आकांक्षा यह भी थी कि इस ग्रंथ को शिक्षा और ज्ञान का अक्षय भंडार बना दिया जाए। इसलिए राजनिती, भूगोल, धनुर्विद्या जैसे ज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों से संबंधीत सामग्री उन्होंने इसमें सम्मिलित की। सौति आवृत्ति या पुनर्कथ्य के इतना अभ्यस्त थे कि भारत उनके हाथो निकलकर निश्चय ही महाभारत बन गया। इसमें तनिक भी आश्चर्य नही लगता।

अब इसके तिथि-निर्धारण की बाते करे। इसमें यद्यपि कौरवों और पांडवो के बीच हुए युद्ध की घटना अत्यंत प्राचीन घटना फिर भी यह नहीं माना जा सकता कि व्यास रचित जय काव्य भी उतनी ही प्राचीन है, अर्थात हम उसे किसी घटना का समसायिक काव्य नही कह सकते। तीनों संस्करणों का तिथि-निर्धारण करना संभव नही है। फिर भी इस सबके बारे में प्रो. होपकिन्स का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य हैः1

''इस तरह महाभारत का रचना- काल सामान्यतः सन 200 से सन 400 के बीच ठहरता है। इस निर्णय पर पहुंचते वक्त हमने न तो इसके उत्तरवर्ती संस्करणों पर ध्यान दिया है और न ही इसके विनिन्न कथ्यों के परिवर्तित रुपों पर, जो कदाचित अनुमागी प्रतिलिपीकारों के हाथों से गुजरते हुए माने जा सकते है।''

किन्तु कुछ ऐसे साक्ष्य है, जिनके आधार पर निश्चयपूर्वक यह कहा जा सकता है कि ह बाद की रचना है।

महाभारत में हूणों से संबंधित उल्लेख आया है। स्कंदगुप्त ने हूणों से युद्ध किया था और उसने इन पर सन 455 में या उसके आसपास विजय पाई थी। इस पराजय के बावजूद हूणों के आक्रमण सन 528 तक हेते रहे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत की रचना उसके काल में या इसके बाद हुई होगी।

कुछ और भी संकेत मिले है, जो इसे और भी बाद की रचना बताते है। महाभारत में म्लेच्छों अथवा मुसलमानों का उल्लेख हुआ है। महाभारत के वर्न पर्व के 190 वे अध्याय के 29 वें श्लोक में रचनाकार कहता है कि 'सार संसार इस्लाममय हो जाएगा। सभी यज्ञ, अनुष्ठान, विधि-विधान, पर्व और त्यौहार समाप्त हो जाएंगे।' इसका सीधा संबंध मुसलमानों से है। यद्यपि इसका संबंध भविष्य से है, फिर भी चूंकि महाभारत पुराण काव्य है और पुराणों में 'जो हो गया है' उसका कथन होता है, इसलिए इसे भी इसी अर्थ में लेना चाहिए। इस श्लोक की इस तरह व्याख्या कर लेने पर यह सिद्ध हो जाता है कि महाभारत की रचना भारत पर

मुसलमानों के आक्रमण के बाद हुई होगी।

कुछ अन्य संदर्भो से भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इसी अध्याय के 59वें श्लोक में कहा गया है कि 'वृषलों के सताए हुए ब्राम्हण भय से पीड़ित हो हाहाकारर करने लगेंगे और कोई रक्षक न मिलने के कारण सारी पृथ्वी पर निश्चय ही भटकते फिरेंगे।' इस श्लोक में जिन वृषलों की ओर संकेत है, वे बौद्ध नही हो सकते। इस बात का लेशमात्र भी प्रमाण नही मिलता कि बौद्धा के हाथों ब्राम्हणों को कभी सताया गया हो। उलटे, इस बात के प्रमाण तो मिले है कि बौद्धों के शासन-काल में बौद्ध भिक्षुओं की ही तरह ब्राम्हणों के साथ भी उदारता का व्यवहार किया जाता था।यहां 'वृषल' से अर्थ है, असभ्य और ऐसा विशेषण मुसलमान आक्रांताओ के लिए ही पयुक्त हुआ लगता है।

वन पर्व के इसी अध्याय में अन्य श्लोक भी है। ये श्लोक है : 65, 66 और 67। इनमें कहा गया है क 'समाज अव्यवस्थित हो जाएगा। लोग एडूकों की पूजा करेंगे। वे देवों का बहिष्कार करेंगे। द्विजो की सेवा नही करेंगे। सारे संसार में एडूक व्याप्त हो जाएंगे। युग का अंत हो जाएगा।'

इस 'एडूक' शब्द का अर्थ क्या है? कुछ ने इसका अर्थ 'बौद्ध चैत्य' किया है। किन्तु श्री कोसांबी के अनुसार यह ठीक नही है।1 न तो बौद्ध साहित्य में, और न ही वैदिक साहित्य में, अर्थात कही भी 'एडूक' शब्द 'चैत्य' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उलटे अमरकोश और उसके व्याख्याकार महेश्वर भट्ट के अनुसार तो 'एडूक' का अर्थ ऐसी दीवार से है जिसे लकड़ी का ढ़ांचा लगा कर पुष्ट किया गया हो। इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए कोसांबी ने इस शब्द का अर्थ 'ईदगाह' लगाया है, जहां मुसलमान नमाज अदा करते है। यदि वह व्याख्या सही है, तो फिर स्पष्ट रुप से यसह कहा जा सकता है कि महाभारत के कुछ अंश मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद लिखे गए थे। मुसलमानों का पहला आक्रमण इब्ने कासिम के नेतृत्व में सन 712 में हुआ था। उसने उत्तरी भारत के कुछ नगरों पर कब्जा तो कर लिया था, किन्तु उन्हें कोई बहुत नुकसान नही पहुंचाया। उसके बाद मोहम्मद गजनी ने हमला किया। उसने मंदिरो और विहारों को बुरी तरह से तोड़ा-फोडा और दोनों धर्मों के पुरोहितों का कत्लेआम किया। किन्तु उसने भारत में मस्जिदें या ईदगाहें नही बनवाई। ऐसा तो मोहम्मद गौरी ने किया। इससे यह साबित होता है कि महाभारत का लेखन सन 1200 तक पूर्ण नही हुआ था।

ऐसा लगता है कि महाभारत की ही तरह रामायण के भी एक-एक कर तीन संस्करण तैयार हुए। महाभारत में रामायण के बारे में दो प्रकार के संदर्भ मिलते है। एक प्रसंग में रामायण का संदर्भ तो आया है, किन्तु उसके लेखक का उल्लेख नही मिलता। दूसरे प्रसंग में वाल्मिकी की रामायण का उल्लेख हुआ है। किन्तु इन दिनों जो उपलब्ध रामायण है, वह वाल्मिकी1 रचित नही। श्री सी.वी. वैद्य के मतानुसार2:

वर्तमान रामायण वाल्मिकी द्वारा मुलतः लिखित रामायण नही है, चाहे इसे इसी रुप में महान चिंतक और भाष्यकार कटक ने ही क्यों न स्विकार किया हो। रुढ़िवादी विचारक भी इस तथ्य को स्विकार करने में नही हिचकिचाएगा। चाहे कोई वर्तमान रामायण को सरासरी तौर पर ही क्यों न पढ़े वह उसमें आई असंगतियो, पृथक प्रसंगो में परस्पर संबंधहिनता या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नूतन और पुरातन, दोनों प्रकार के विचारों के गठबंधन को देखकर अवश्य हतप्रभ रह जाएगा। यह बात रामायण के बंगाल या बंबई वाले किसी भी पाठ में देखी जा सकती है। इन सब बातों को देखकर कोई भी इस नतीजे पर अवश्य पहुंचेगा कि वाल्मिकी रामायण में आगे चलकर बहुत फेर-बदल हुआ।

महाभारत की ही तरह रामायण की कथावस्तु में भी कालांतर में क्षेपक जुड़ते गए। आरंभ में रामायण की कथा इतनी भर थी कि रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया, इसलिए राम और रावण युद्ध हुआ। अगले संस्करण में इस कथा में कुछ उपदेश भी जुड़ गए। तब एक विशुद्ध ऐतिहासिक काव्य के स्थान पर यह कृति उपदेशात्मक बन गई, जिसका उद्देश्य सामाजिक, नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों के सही नियमों की शिक्षा देना था। जब इसका तीसरा संस्करण बना तो यह भी महाभारत की ही तरह दंतकथाओं, ज्ञान, शिक्षा, दर्शन तथा अन्य कलाओं और विज्ञानों का भंडार बन गई।

रामायण की रचना कब हुई, इसके बारे में एक सर्वसम्मत दृष्टिकोन यह है कि राम की घटना पांडवों की घटना से अधिक पुरानी है, किन्तु रामायण और महाभारत का लेखन कर्म साथ-साथ ही चला होगा। हो सकता है कि रामायण के कुछ अंश महाभारत से पहले ही लिखे गए हों, किन्तु इस बात में किसी तरह का संदेह नही है कि रामायण का अधिकांश भाग महाभारत के अधिकांश भाग के लिखे जाने के बाद ही लिखा गया होगा।

मुझे निष्ठावान लोग चाहिये

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

दि. 14 जनवरी 1946 को सोलापुर में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की चुनाव प्रचार सभा आयोजित की गई थी। इस चुनाव प्रचार सभा को सम्बोधित करते हुये डॉ. आंबेडकर ने अपने भाषण में कहा -

चुनाव के बारे में मुझे अपने अछूत भाइयों को दो शब्द कहने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। किन्तु कुछ लोगों के आग्रह के कारण मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरा अपने समाज पर पूरा भरोसा है। सारा अछूत समाज शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ है इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। अछूत समाज अन्य किसी को कुछ समझता ही नहीं, अछूत समाज में इतनी जागरूकता आई है। उसे अपना भला-बुरा समझ में आता है। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि मैं दिल्ली में बैठकर घंटा बजाकर संकेत करूँ तो मेरा समाज मेरे दिये हुये आदेश का पालन बड़ी निष्ठा के साथ करेगा।

मध्यप्रान्त में अछूतों के छह स्थान कांग्रेस को कैसे मिले, यह सवाल पूछा जाता है। किन्तु इसके लिए मेरा जवाब यह है कि मैदान में उतरने का मतलब राज हासिल कर लेना, यह कैसे कहा जा सकता है ? हमारे अछूतों का मजबूत किला मुम्बई प्रान्त में है। उसे यदि विरोधी दलों ने जीत लिया तो हम टोपी उतारकर शरण में आएँगे।

आज कांग्रेस का प्रचार हवाई जहाजों, रेलवे और मोटरगाड़ियों की सहायता से बड़े जोर-शोर से चल रहा है। मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ कि देश की तमाम जनता हमारे पीछे है, इस तरह की डींग हॉकनेवाले लोग हवाई जहाज से क्यों घूम रहे हैं ? पूरे देश के चप्पे-चप्पे में क्यों घूम रहे है ? इतना शोर-शराबा क्यों कर रहे हैं ? मैं चुनाव-प्रचार के लिए सिर्फ चार-पाँच जगहों पर गया हूँ। यदि जनता कांग्रेस के पक्ष में है तो वह रुपया-पैसा, हवाई जहाज, मोटरगाड़ियों लेकर पोतराज की तरह क्यों घुमते है ?

मेरा अछूत समाज पर पूरा भरोसा है। सारा अछूत समाज आज शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के पीछे है, इस बारे में मेंरे मन में कोई सन्देह नहीं है। अगला चुनाव कोई बच्चों का खेल नहीं है। आनेवाला चुनाव एक संग्राम है, एक युद्ध है। कौरव-पांडवों की तरह यह युद्ध लड़ा जाएगा।

कौरवों और पांडवों का युद्ध टालने के लिए कृष्ण ने बिचौलिए का काम किया। किन्तु सुई की नोक भर जमीन भी उन्हें नहीं दी जाएगी, ऐसा अहंकारी जवाब दुर्योधन ने कृष्ण को दिया था। युद्ध टाला जाए इसलिए मैंने गांधीजी को एक पत्र लिखकर समझोते का प्रयास किया। अपने मान-सम्मान को जेब में रखकर मैंने समाज की भलाई के लिए नेतृत्व की परवाह किए बगैर गोलमेज परिषद् के मुकाबले को दोहराया न जाए, मतभेद बढ़े नहीं, इसके लिए दोनों की राजनीतिक माँगों की व्यवस्था करनी चाहिये इसलिए गांधीजी को पत्र लिखा गया। उस समय गांधीजी ने जवाब दिया, ''आपकी और हमारी समान दृष्टि नहीं है '' यह कहकर उन्होंने समझौते की माँग को ठुकरा दिया।

मेरे पत्र लिखने से पहले यही गांधी कुछ माह तक जिन्ना के घर जाकर उन्हें गले लगाकर बातें कर रहे थे। मैंने सोचा गांधी जिन्ना को मिलने जाते हैं तो मुझे भी मिलने आएँगे । गांधी और जिन्ना में कौन-सी समान दृष्टि थी इस बात को राजनीतिज्ञ अच्छी तरह जानते हैं!

आपने अकेले ने राज्य नहीं बनाया है, राज्य दोनों ने मिलकर बनाया है यह सच्चाई होने पर भी दुर्योधन की तरह सुई की नोक भर जमीन देने के लिए भी गांधी तैयार नहीं है। यह प्रयास खत्म होने के बाद कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, आप अपना पक्ष संभालिये। गांधी ने दुर्योधन की भूमिका अपनाई

इसलिए अछूत समाज में यदि कुछ वीरता, पुरुषत्व है तो इस युद्ध में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवारों को ही चुनना चाहिये। और 'आप' अपनी पार्टी संभालिये हम हमारा पक्ष सँभालते हैं' ऐसा गांधी और कांग्रेस को सीधा जवाब देना चाहिये।

भावी संविधान को बनाते समय अछूतों का पक्ष हम लोग ही प्रभावी ढंग से रखनेवाले हैं। यह चुनाव सीधा-सादा नहीं है। शिक्षकों की तनख्वाह, जमीन का लगान कम करना, बूँदी का भोजन आदि बातों को हासिल करने के लिये यह चुनाव नहीं हैं। बल्कि अंग्रेज सरकार के यहाँ से जाने के बाद सत्ता किसके हाथ में रहेगी, इस बात को संवैधिानिक रूप से तय करना है। चुनाव का लाभ उठाकर कई खोखले घोषणा-पत्र जारी किये गये हैं। लेकिन उनका कुछ मतलब नहीं है। घोषणा-पत्रों के अनुसार इन धोखेबाजों ने कुछ नहीं किया तो हम अछूत लोग उनका क्या बिगाड़ सकते हैं ? हम लोग किसके पास जाकर रोएँगे ? यह लड़ाई सत्ता के लिए है। टुकड़ों के लिए दूसरों के मुँह देखने का मौका समाज के सामने न आए, पेट-पानी का सवाल हल हो, सम्मान से रहने का मौका मिले इसीलिए राजनीतिक सत्ता की जरूरत होती है और उसे हासिल करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं।

गाँव के मुखिया ने मारा तो पुलिस से लेकर कलेक्टर तक एक-दूरे के जातभाई होने के कारण बेचारे अछूतों की बात को सुननेवाला कोई नहीं है। दीवान भी उसी की जाति का होता है। क्या हमेशा के लिये हमारा समाज गुलामी में ही रहेगा ? जो अंग्रेज राज में हो रहा है वह भविष्य के भारत में न हो इसलिये हम लड़-झगड़ रहे हैं। जब तक हिन्दुओं के हाथों में राजनीतिक सत्ता रहेगी तब तक इस प्रकार की गुलामी खत्म होनेवाली नहीं है। इस चुनाव में हमारा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 'दान दो, संकट टालो' की तरह मतों की भीख नहीं माँग रहा है।

हमारा भविष्य बेहतर हो इसलिये हमें सत्ता चाहिये। उसे मतों के द्वारा समाज को हमारे हाथों में देना चाहिये। यह हमारा हक़ है। मुस्लिम जो भी माँग करेंगे हिन्दू उनकी माँग पूरी कर देते हैं, क्या यह आश्चर्य नहीं है ? उन्होंने 1834 में 25 प्रतिशत की माँग की और उन्हें साढ़े तैंतीस प्रतिशत दिया गया। अब वे 50 प्रतिशत की माँग कर रहे हैं। इस माँग को पूरा करने के लिए वे शिमला सम्मेलन के समय तैयार हो गये। हम अपने उचित और न्यायपूर्ण हक़ माँगते हैं, लेकिन उनकी भाषा होती है कि सुई की नोंक भर जितनी मिट्टी भी नहीं मिलेगी।

इस समय अछूत समाज जाग्रत नहीं हुआ तो पेशवाई की तरह कमर में झाडू और गले में थूक की हाँडी लटकाने की नौबत आयेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है। दलित फेडरेशन द्वारा खड़ा किया उम्मीदवार बहाना मात्र है। उम्मीदवार से व्यक्तिगत मतभेदों को भूलकर दिया गया मत उम्मीदवार को नहीं बल्कि फेडरेशन को दिया गया मत है। इस बात को सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिये। फेडरेशन के उम्मीदवार का मतलब मैं ही उम्मीदवार हूँ, यह समझिए।

मेरी राजनीति कभी असफल नहीं हुई

इस असेम्बली में अन्य बलशाली जातियों के प्रतिनिधियों की बराबरी में 15-20 अछूत लोग सम्मान के साथ बैठ सकते हैं, इस तरह का पद मैंने आप लोगों के लिए मुहैय्या कराया है। इस मजबूत संगठन को चूना, सीमेंट लगाकर उसे और मजबूत करने का मेरा प्रयास है। हिन्दू और मुस्लिम दोनों मिलकर कितनी भी कोशिश करें फिर भी हमारा किला मजबूत रहेगा। उसे आँच भी न लगे इस तरह की व्यवस्था मैंने की है। किसी के निजी दोषों की ओर किसी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि अछूतों में मतभेद हैं, किन्तु सच्चाई यह नहीं है। मुम्बई के पिछले प्राथमिक चुनाव में महार मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने बावजूद भी चमार जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया गया और उसे चुना गया।

कांग्रेस का उम्मीदवार होने के बावजूद ब्राह्मण, ब्राह्मण उम्मीदवार को और मराठा, मराठा उम्मीदवार को ही मत देता है। किन्तु हमारी फेडरेशन इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखती। मन्त्री बनाएँगे, यह बनाएँगे, वह बनाएँगे इस तरह के लालच से दूर हमारा समाज हमारी फेडरेशन के पीछे खड़ा है, यह बात सिद्ध हो चुकी है। हमारे उम्मीदवार के खिलाफ तरह-तरह का गलत प्रचार किया जाता है लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए, मैंने कसौटी पर परखकर उम्मीदवारों का चयन किया है। वे लोग सिद्धातों के लिए मर-मिटनेवाले हैं। बिकाऊ लोगों की फौज किस काम की है ?

पूर्व कांग्रेस मन्त्रिमंडल का कार्यकाल 2 साल 7 माह तक चला। उस समय 'स्वतन्त्र मजदूर पार्टी' के 15 निष्ठावान सदस्य किसी के सामने नहीं झुके। उनको तोड़ने की कोशिशें की गई। परन्तु हमारे 15 लोग बहस करने में अनुशासन में

और राजनीति में ध्येय के प्रति समर्पित थे।

विद्धान लोग न हों तब भी चल जाएगा, किन्तु मुझे निष्ठावान लोग चाहिए। ज्ञान के अभाव को पूरा करने में मैं समर्थ हूँ। जो बिका जाता है, लालच में फँस जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं है। हम पर और हमारी भावी पीढ़ी पर आनेवाले खतरों को नष्ट कर अगली पीढ़ी का रास्ता आसान कर देना अपनी जिम्मेदारी है। पिछले दो हजार साल से हमारे पूर्वज इस जुल्म को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। हर पीढ़ी को आगे की पीढ़ी के खतरों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिये। मुस्लिमों को 20 साल तक कोशिश करने के बाद जितना मिला उतना हमने दो साल में हासिल किया है। क्या यह कम महत्वपूर्ण बात है ? गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश में कितने लोग मरे, कितने घायल हुये, इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिये।

मरने का डर किसे है ?

मुझे गोली मारकर खत्म करने के बहुत से पत्र मिलते हैं। इन लोगों की किये बगैर परवाह इस चुनाव में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए फेडरेशन के उम्मीदवार को ही चुनना चाहिए।

मैं फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरी मेज पर एक घंटी है। उस घंटी को बजाते ही सिपाही तुरत हाजिर हो जाता है, उसी प्रकार जब मैं दिल्ली में स्विच दबाता हूँ तो पलभर में मुम्बई में रोशनी हो जाती है। मेरा यह जो आत्मविश्वास है वह झूठा नहीं है, यह सच है। वह वास्तविकता के धरातल पर खड़ा है। मुम्बई के कल के चुनाव को देखिये शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के भंडारे को 12,899 मत मिले हैं, और देवरूखकर को 11,334 मत मिले हैं। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को धूल चाटनी पड़ी। मुम्बई का यह चुनाव भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा।

लोगों केा ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग संगठित है। मुस्लिम लीग के ज्यादा उम्मीदवार चुने गए है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि फेडरेशन की शक्ति मुस्लिम लीग से अधिक है। इसकी वजह यह है कि मुस्लिम लोग किले के अन्दर रहते हैं, और हम लोग किले से बाहर रहकर भी दुश्मन को बुरी तरह पराजित कर सकते हैं।

आज असली लड़ाई किससे है ? अंग्रेज सरकार के इस देश से चले जाने के बाद यहाँ कौन राज करेगा ? हिन्दू ? मुस्लिम ? या हिन्दू और मुस्लिम मिलकर ? हम लोगों को बड़े-बड़े लालच दिये जाते हैं। किन्तु आप लोगों को असली लड़ाई की ओर ध्यान देना चाहिये। हमारी यह लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। हमें सत्ता चाहिये। हमें हिन्दुस्तान का राज नहीं चाहिये। भीख नहीं चाहिये। हमें असली स्वराज चाहिए। हमारी असली लड़ाई कांग्रेस से है। मुस्लिम लोग जो माँगते है, कांग्रेस उन्हें दे देती है। मुस्लिम लोग पच्चीस प्रतिशत हैं। उन्हें साढ़े तैंतीस प्रतिशत स्थान दिये गये हैं। ये लोग उन्हें कल-परसों तक 50 प्रतिशत स्थान देने के लिए तैयार थे और हमारा उचित हक़ होने पर भी हमारे लिए जवाब है कि सूई की नोंक जितनी मिट्टी भी हमें नहीं मिलेगी। अब पुनः पेशवाई न आये इसलिये आप लोगों को सचेत रहना चाहिये। मैंने मुम्बई असेम्बली के लिए आपके जिले में जिवाप्पा ऐदाड़े को खड़ा किया है। जिवाप्पा एक बहाना मात्र हैं। वह मैं हूँ, मुझे चुनिये (तालियाँ)। विधिमंडल में मैंने अपने 15 लोग मारवाड़ी ब्राह्मणों की बगल में बैठने के लिए भेजे हैं। अपना किला मजबूत रहे ऐसा हमारे बर्ताव होना चाहिए। हिन्दू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर यदि हमला किया तब भी घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने उसकी व्यवस्था कर रखी है। परस्पर आलोचना और नफरत मत कीजिए। आप लोग अपना मत फेडरेशन को दे रहे हैं, इसमें अधिक सोचने की जरूरत नहीं है।

मैं जातिभेद के एकदम खिलाफ हूँ। मैं जातिभेद का सख्त दुश्मन हूँ। हमारे आपस में जातिभेद जल्दी खत्म हो, यही मेरी मान्यता है। जातिभेद ब्राह्मणों ने पैदा किया हैं। मेरे फेडरेशन में जातिभेद को दफना दिया गया है। मातंग, भंगी, चमार आदि के साथ मेरा समानता का व्यवहार है। मैं महार जाति में पैंदा हुआ हूँ यह मेरा दोष नहीं है। मुम्बई में 90 प्रतिशत महार थे। किन्तु मुम्बई में हमने चमार समाज के देवरूखकर को खड़ा किया है। बढ़ई बढ़ई को मत देगा, कसार कसार को मत देगा इस तरह की बातें अबक बिल्कुल नहीं चलनी चाहिये। सभी को शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को मत देना चाहिये। दूसरा उदाहरण, नासिक जिले में भंगी को खड़ा किया गया है। वहाँ 90 प्रतिशत महार मतदाता थे। वहाँ महारों ने भंगी को ही चुना है।

खानदेश में एक मातंग उम्मीदवार को टिकट दिया गया था। दुर्भाग्य से बेचारे की रास्ते में गाड़ी खराब हो गई।

शेष पान 24 पर ...

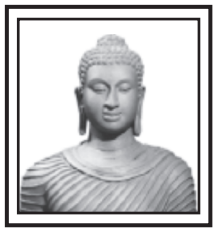

बुद्ध और उनका धम्म

लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

कुलीनों तथा पवित्रों की धम्म-दीक्षा

6. राजा प्रसेनजित की धम्म-दीक्षा

1. जब यह सुना कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं तो राजा प्रसेनजित् अपने रथ पर चढ़कर जेतवन पहुँचा। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने के अनन्तर उसने कहा -
2. ''यह मेरे राज्य का भाग्य है कि आप यहां पधारे हैं। आपके समान धम्म राजा के रहते मेरे राज्य पर कोई भी आपत्ति आ ही कैसे सकती है ?
3. ''अब जब आपके दर्शन हो गये तो कुछ धम्मामृत भी पान करने को मिले।
4. ''सांसारिक सम्पति अनित्य है और नाशवान् है, किन्तु जो धम्म रूपी धन है वह अनन्त है और नाशवान् नहीं है। राजा होने पर भी संसारी आदमी दुःखी ही रहता है। किन्तु एक साधारण आदमी भी, यदि वह धम्मपरायण है, सुखी रहता है।''
5. धन और काम-भोग की तृष्णा के कारण भारी हुए राजा के चित्त की अवस्था पहचान कर तथागत ने उपदेश दिया -
6. ''जिनका जन्म अति सामान्य स्थिति में हुआ रहता है वे भी जब किसी धम्म-परायण आदमी को देखते है तो उनके मन में उस आदमी के लिये आदर की भावना पैदा हो जाती है, तो फिर जिसने पहले बहुत पुण्य अर्जित किये है, ऐसे राजा का तो कहना ही क्या?
7. ''और अब जब मैं संक्षेप में धम्मोपदेश देने जा रहा हूं, महाराज ? मेरे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनें और उन्हें हृदयगम करें!
8. ''हमारे अच्छे या बुरे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं।
9. ''जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है, वह है मैत्री-पूर्ण हृदय।
10. ''अपनी प्रजा को अपनी अकेली सन्तान के समान समझें। उन्हे कष्ट न दें, उन्हें नष्ट न करें। अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें। कुमार्ग छोड़कर, सन्मार्ग पर चलें। दूसरों को नीचे गिराकर अपने को ऊपर न उठायें। दुःखी को सुख और सान्त्वना दें।
11. ''राजकीय ठाट-बाट को अधिक महत्व न दे और खुशामदियों की मीठी लगने वाली बातें न सुनें।
12. ''अपने आपको काया-क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं है, लेकिन 'धम्म' और 'सुपथ' का विचार करें।''
13. '' हम चारों ओर से शोक तथा दुःख की चट्टानों में घिरे हुए हैं और धम्म का विचार करने से ही हम इस दुःखों के पर्वत को लांघ सकते हैं।
14. ''तब अन्याय करने में लाभ ही क्या है ?
15. ''सभी बुद्धिमान शारीरिक ऐशो आराम की उपेक्षा करते हैं। वे कामनाओं से दूर रहकर अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं।
16. ''जब कोई वृक्ष आग से झुलस रहा हो तो पक्षी उस पर अपने घोंसले कैसे बना सकते हैं ? जहां राग का निवास है, वहां सत्य कैसे टिक सकता है? यदि किसी को इस बात का ज्ञान नहीं तो किसी विद्वान् को ऋषि मानकर चाहे उसकी प्रशंसा ही क्यों न की जाती हो, वह अज्ञानी ही है।
17. ''जिसे यह ज्ञान प्राप्त है, उसे ही प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा की प्राप्ति ही मानव-जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसकी उपेक्षा, जीवन की असफलता का द्योतक है।
18. ''सभी धार्मिक मतों की शिक्षाओं का यही एक केन्द्र-बिन्दु होना चाहिये। इसके बिना सब निरर्थक है।
19. ''यह सत्य कोई प्रव्रजितों के ही लिए नहीं है, इसका सम्बन्ध मानव-मात्र से है, साधु और गृहस्थ से समानरूप से। व्रतधारी प्रव्रजित में और गृहस्थ में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्रव्रजित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और गृहस्थ भी 'ऋषियों' के दर्जे तक पहुँचते हैं।

20. ''कामाग्नि का खतरा सभी के लिये समान है, यह दुनिया को बाढ़की तरह बहा ले जाता है। जो एक बार इस भँवर-जाल में फस गया, उस का बच निकलना कठिन है। लेकिन प्रज्ञा की नौका विद्यमान है और विचार शक्ति का चप्पु। धम्म की यही मांग है कि आप अपने आप को मार रूपी शत्रु से सुरक्षित रखें।

21. ''क्योंकि कर्मो के फल से बच निकलना असम्भव है, इसलिए हम शुभ कर्म ही करें।

22. ''हम अपने विचारों की चौकसी रखें ताकि हम से कोई बुरा काम न हो, क्योंकि जैसा हम बोयंगे वैसा ही हम काटेंगें।

23. ''आदमी प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जा सकता है। अंधेरे से और भी अधिक अंधेरे की ओर अग्रसर होने के भी मार्ग है; इसी प्रकार प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर। बुद्धिमान् आदमी ज्ञान के अनुसार आचरण करेगा ताकि उसे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त हो। वह लगातार सत्य की ओर अग्रसर होता रहेगा।

24. ''बुद्धिसंगत-व्यवहार और सदाचार-परायण जीवन द्वारा सच्चे श्रेष्ठत्व का प्रकाश हो। भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार किंया जाय और जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह समझ लिया जाय।

25. ''अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, श्रद्धा और दृढ़ता को अपनाओ। राजधर्म के नियमों का उल्लंघन न करो। अपनी प्रसन्नता का आधार बाह्य-पदार्थो को नहीं, बल्कि अपने प्रीती-युक्त मन को ही बनाओ। इससे सुदूर भविष्य तक के लिये तुम्हारा यश अमर रहेगा।''

26. राजा ने बड़े ध्यान से तथागत के अमृत वचनों का पान किया और हर वचन को हृदयङ्गम किया। उसने जीवन पर्यन्त 'उपासक' बने रहने की इच्छा से तथागत की शरण ग्रहण की।

7. जीवक की धम्म-दीक्षा

1. जीवक ने राजगृह की एक वेश्या शालवती के गर्भ से जन्म धारण किया था।[6]
2. जन्म के तुरन्त बाद ही, उसे एक टोकरी में डाल कर कूड़े के एक ढेरी पर फेंक दिया गया -- अज्ञात पिता का पुत्र जो था।
3. बहुत से लोग कुड़े के ढेर के पास खड़े होकर 'बच्चे' को देख रहे थे। राजकुमार 'अभय' का उधर से गुजरना हुआ। उसने लोगों से पूछा। लोगों ने बताया 'यह जीवित है'।
4. इसीलीये उस का नाम जीवक पड़ा। अभय ने उसे अपना लिया और पालन-पोषण कर बड़ा किया।
5. जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसका जीवन सुरक्षित रहा था। उसकी उत्कट अभिलाषा हूई कि वह अपने आप को दूसरों का जीवन बचाने के ही अधिकाधिक योग्य बनाये।
6. इसलिये वह अभय को बिना बताये ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये चला गया और वहां उसने अध्ययन में सात वर्ष बिताये।
7. राजगृह लौट कर उसने चिकित्सा करनी आरम्भ की और अचिरकाल में ही बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली ।
8. सर्वप्रथम उसने साकेत के एक सेठ की स्त्री की चिकित्सा की। उसके अच्छा हो जाने पर उसे सोलह हजार कार्षापण, एक दास, एक दासी और घोडे सहित एक गाड़ी मिली।
9. उस की योग्यता जान, अभय ने उसे अपने ही भवन में रख लिया।
10. राजगृह मे ही उसने राजा बिम्बिसार का भयानक भंगदर रोग अच्छा किया। कहा जाता है इससे प्रसन्न होकर राजा की पांचसौ रानीयों ने अपने अपने सभी गहने जीवक को दे दिये।
11. उल्लेख करने लायक चिकित्साओं में उसकी एक वह शल्यचिकित्सा थी जो जीवक ने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी की की थी, और दूसरी बनारस के उस श्रेष्ठी के लड़के की जो अतड़ियो के रोग से चिर-काल से दुःखी था।
12. जीवक को राजा ने अपना तथा अपने रनिवास का 'राज-वैद्य' नियुक्त किया।
13. लेकिन जीवक की तथागत में बड़ी भक्ति थी। वह शाक्य मुनि गौतम बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक था।
14. वह तथागत का उपासक बना। बुद्ध ने उसे भिक्षु नहीं बनाया, क्योंकि वह चाहते थे कि वह चिकित्सा द्वारा रोगियों और जख्मीयों की सेवा करता रहे।
15. बिम्बिसार की मृत्यु के अनन्तर जीवक उसके पुत्र अजात-शत्रु का भी चिकित्सक रहा। पितृ-हत्या का पाप कर चुकने के बाद अजात-शत्रु को तथागत के समीप लाने में मुख्य हाथ जीवक का ही था।

वर्तमान घटनाक्रम

• अयोध्या ने दुराचारी साधु

7 दिसंबर 2013 तहलका में छपी खबर के अनुसार अयोध्या के अनेक साधु दुराचार में लिप्त है।अयोध्या में स्थित 7000 मंदिर और मठों में से बहुतायत गुनाहों के केंद्र बने हुये है। पिछले कुछ वर्षों मे 250 से अधिक साधुओं के विरूद्ध गुनाहों की शिकायतें दर्ज हुई है जिनमें खून जैसे अपराध भी शामिल है। इनमें से कुछ साधु पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए। पिछले वर्ष गोंडा के पास महंत हरीनारायण दास पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जिसने खून तथा अन्य जघन्य अपराध किए थे। इसी प्रकार 1995 में महंत राम प्रकाश दास भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। पुलिस के अनुसार पिछले दशक में 200 से अधिक साधुओं की हत्या हुई है। एक साधु दूसरे साधु की हत्या करने पर आमदा है। हनुमान गढ़ी के मुख्य महंत हरी शंकर दास पर उसके शिष्यों ने 6 बार गोलीया चलाई। कुछ अन्य महंतो ने भी दूसरे साधुओ पर आरोप लगाए है कि वह उनकी हत्या करना चाहते है। कुछ महंत मंदिरों के मुखिया की हत्या कर मंदिरों की संपत्ति हथियाना चाहते है। इन साधुओं के बीच चल रहे खुनी खेल का कारण ही संपत्ति हथियाना है।

वैरागी साधू रमानन्द के अनुसार हनुमान गढ़ी मंदिर के पूर्व प्रमुख महंत त्रिभुवन दास ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम अपराधियोंको अयोध्या में लाया गया था। उनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण उन्हें हनुमान गढ़ी से बेदखल किया गया परंतु उन्होंने अपना स्वयं का मठ बना लिया। हनुमान गढ़ी के दुसरे महंत गौरीशंकर दास कहते है कि 100 से अधिक हत्याओं के पीछे त्रिभुवन दास का हाथ है। राचरित मानस भवन के महंत अर्जन दास का कहना है की जब त्रिभवुन दास जेल में थे तब उन्होंने अनेक अपराधियों को अपना शिष्य शिरुय बनाना था। जब वह जेल से छूटे तब तब वह उन्हें देखने के लिए आए थे। त्रिभुवन दास का मंदिर बिहार के अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। इतने सब अपराध करने के बाद भी त्रिभुवन दास अयोध्या में जमे हुए है।

अनेक साधू साधुओं के द्वारा मारे गए। 1984 में हरिभजनदास, 1992 में दीनबंधु दास और महंत लाल दास, 1995 में महंत रमाग्या दास, 2010 मे बजरंग दास और हरभजन दास, 2011 में महंत प्रल्हाद दास की साधुओं ने हत्या की । 2005 में दो नागा दधुओं ने एकदूसरे पर बम फेके थे। जुलाई 2013 में भावनाथ दास और हरीशंकर दास पहलवान ने एकदूसरे पर गालिया चलाई जिसमें एक व्यक्ति मर गया । प्रल्हाद दास जिसकी साधुओं ने हत्या की थी उसे गुंडा बाबा कहा जाता था। उस पर खून तथा अनेक आपराधिक मामले दर्ज थे और फैजाबाद प्रशासन ने उस पर गुंडा ॲक्ट लगाा था।

एक महंत के अनुसार राम जन्मभूमि न्याय के मुखिया नृत्या गोपाल दास जमीन हड़पने वाले गुंडे थे। जब कोई जमीन पसंद आती थी तो वह जमीन मालिक को दो विकल्प देता था- या तो वह जमीन दे या मरने के लिए तैयार हेा। नृत्य गोपाल दास ने 1990 में अयोध्या में मारवाड़ी धर्मशाला को अवैधानिक रूप से हस्तगत किया था। साधू प्रेम शंकर दास उस वक्त मौजूद थे। उनके अनुसार धर्मशाला में नजदीकी गाँवों के लगभग 70-80 विद्यार्थी रहते थे। एक दिन कुछ साधु धर्मशाला परिसर में घुस गए। उन्होंने विद्यार्थीयों का सामान एक जगह इकट्ठा किया और आग लगा दी। नृत्य गोपाल दास तथा उसके साथियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया था। 2001 में गोपाल दास पर भी हमला हुआ था। यह हमला राम वल्लभ मंदिर के महंत देवराम दास वेदांती को हटाने को लेकर हुआ था। वेदांती भी आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसे 1995 में भागलपुर की होटल से नाबालिक लड़की के साथ पकड़ा गया था और उसके पास स्पेनिश पिस्टल भी पाया गया था।

हनुमान गढ़ी मंदिर के महंत ज्ञान दास के अनुसार अनेक अपराधी साधू बन जाते है और अयोध्या में रहते है। बेगुसई बिहार का गुंडा कामदेव सिंह जिसने कई लोगों की हत्या की थी वह अनेक वर्षों तक साधू के वेश में अयोध्या में रहता था। वह 1983 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार मठों में पुलिस धाड़ नहीं डालती और साधुओं से उनकी पूर्व की जानकारी नहीं लेती इसका लाभ अपराधियें को मिलता है। रामकृपाल दास बम बनाने में निपुण था जो 1996 में मारा गया। वह लक्ष्मण दास का शिष्य था और जमीन हड़पने के प्रकरणों में लिप्त था। बी एस पी नेता वीरेंद्र प्रताप साही और एक पुलिस अधिकारी का हत्यारा श्रीप्रकाश शुक्ला अयोध्या के मठ में रहता था। उसने अन्य महंत के इशारे पर 1996 में महंत रामकृपाल दास की हत्या की थी।

अयोध्या के साधुओं में बंदुके रखने की और बंदूकधारी रखने की होड़ लगी हुई है। कुछ साधुओं के पास बंदूक रखने का लाइसेन्स है और कुछ अवैध रूप से हथियार रखे हुये है। बिहार में मुंगेर से अवैध हथियार लाये जाते है। कुछ दिनों पहले स्थानीय पुलिस ने अमेरिका के बने हुए आधुनिक हथियार की तस्करी में तीन साधुओं को गिरफ्तार किया था। अनेक साधुओं ने अपनी सुरक्षा के लिए बंदूकधारी पालकर रखे हुये है।

अयोध्या में शराब और नशीले पदार्थों पर बंदी है परंतु सरयू नदी के किनाारे किनारे अनेक साधुओं को इनका खुलेआम सेवन करते हुए देखा जा सकता है। शराब की तस्करी साधू का वेशधारी ही करते है। शराबियों और तस्करो की संख्या बढ़रहीं है। अनेक साधू गृहस्थ है। उनके साधुओं की औरतें और बच्चे है। वह मंदिर का उत्तराधिकारी शिष्य को बनाने की बजाय अपने लड़के को बनाते है। इन साधुओं पर बच्चों के योन शोषण के मामले भी दर्ज हुए है। महंत गंगाराम पर एक रिक्शा चालक के 8 वर्षीय लड़के के योन शोषण का आरोप लगा था।

अयोध्या के अनेक साधू भूमाफिया है। वह देश के मंदिरों की करोड़ो की संपत्ति के क्रय-विक्रय में लिप्त है। फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 90 प्रतिशत मामले अयोध्या के है जिनमे 99 प्रतिशत साधुओं संबंधित है। यह मामले महंतगिरी या संपत्ति से संबन्धित है। लगभग आधे मंदिरों के विवाद चल रहें है। इन कुकर्मों के अलावा साधू पैसा ब्याज पर देने का व्यवसाय भी करते है।

अयोध्या में साधुओं के जाती पर आधारित दल है। भूमिहार, ठाकुर, ब्राह्मण इत्यादि जाती के दलों में वह बटे हुए है और एक दल दूसरे दल को नीचे दिखाने में लगा हुआ है। प्रशासन भी इन अपराधी साधुओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। प्रशासन के कई अधिकारी साधुओं से रिश्वत लेकर मालामाल हो चुके है। इन साधुओं के राजनेताओं से संबंध होने के कारण कोई प्रशासनिक अधिकारी साधुओं के इन अपराधो को रोकने की हिम्मत नही करता।

- **मंदिर परिसर में खून और बलात्कार**

दक्षिण कर्नाटक में बेलथगड़ी शहर है जहां जैन और हिंदुओं की आस्था के 3 मंदिर है जिसे धर्मस्थल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। इस ट्रस्ट के मुखिया वीरेंद्र हेगड़े उनके राजनैतिक संबंधों के कारण बड़े ताकतवार है। पिछले वर्ष 17 साल की लड़की का बलात्कार और खून हुआ था। इसका अपराधी वीरेंद्र हेगड़े का भतीजा निश्चल जैन को माना जा रहा है परंतु उसपर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण इस वर्ष 25 अक्तुंबर को बेलथंगड़ी में लगभग 40,000 लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हेगड़े परिवार के विरोध में किया गया।

सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर पिछले दशक में धर्मस्थल और आसपास के क्षेत्र में 452 लोगों की हत्या हुई जिनमें 96 महिलाए थी।40 महिलाओं के शव होटलों में पाये गए थे जो धर्मस्थल ट्रस्ट द्वारा संचालित किए जाते है। इन शवों को पहचाना नहीं जा सका ऐसा कहकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ शव नेत्रवती नदी के किनारे पाये गए। हत्या के किसी भी प्रकरण में बगैर जांच किए और बगैर सिनाख्त किए उसे बंद कर देना यह दर्शाता है की हेगड़े का पुलिस पर प्रभाव था। साथही धर्मस्थल प्रबंधन का इन अपराधों में सलग्न होना भी दर्शाता है।

इन अपराधों के अलावा हेगड़े द्वारा गरीब और कमजोर लोगों की कई एकड़ जमीन हड़प की है। स्थानीय जरूरत मंद लोगो से उनके द्वारा मनचाहे दर से व्याज वसूला जाता है। हेगड़े के लोग स्थानीय लोगों पर मनमानी और अन्याय करते है। बेलथंगड़ी की स्थिति को दखने पर यह प्रतीत होता है की वहाँ प्रजातंन्त्र नहीं है, मंदिर के प्रबन्धक की तानाशाही है।

- **भारत में मध्यान्ह भोजन योजना पर अमल नहीं होता.**

1995 में बनी मध्यान्ह भोजन योजना 2008-09 में अस्तित्व आयी। यह योजना प्राथमिक स्कूल में विद्यार्थीयों केा मध्यान्ह भोजन देने को बनाई गइ है। यह इस प्रकार की संसार की सबसे बड़ी योजना है। प्रतिवर्ष सरकार द्वारा इस योजना के लाभ का जायजा लिया जाता है जिसमें कितने विद्यार्थी और कितने स्कूल इस योजना से लाभान्वित हुए इस संबंध में जानकारी होती है। परंतु भोजन की क्वालिटी के बारे में बहुत कम जिक्र होता है। वास्तविकता यह है की विद्यार्थीयों को दिया गया भोजन तय क्वालिटी का नहीं होता है।

2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज विरूद्ध राजस्थान सरकार के प्रकरण में राज्य सरकारो को निर्देश दिये थे की कम से कम 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन वाला भोजन देना चाहिए। 2006 में नैशनल प्रोग्राम ऑफ न्युट्रिष्नल सपोर्ट टू प्रायमरी एजुकेशन द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार प्रति विद्यार्थी को प्रति दिन 12 ग्राम प्रोटीन और 450 कैलोरी वाला भोजन देना चाहिए । साथही भोजन में हरी सब्जी दाले और शुद्ध नमक होना

आवश्यक है। अनेक राज्यो मे विद्यार्थीयों के लिए बनाए गए भोजन को इन मापदंड के अनुसार टेस्ट नहीं किया जाता है और निम्न स्तर का भोजन दिया जाता है। इसका नतीजा यह है की अनेक विद्यार्थी कुपोषण और खून की कमी के शिकार है। नियम, कानून, योजना बनाना परंतु उनपर अमल नहीं करना और जनता के साथ खिलवाड़ करना यह सरकार की आदत बनी हुई है। इस योजना पर अमल न कर सरकार मासूम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

इस देश को संचालित करने वालों को पाप से कोई डर नहीं लगता। उनमें नैतिकता बिलकुल भी नहीं है। यदि इस देश में नैतिकता प्रस्थापित करनी है तो बुद्ध धम्म का स्वीकार करना ही एकमात्र उपाय है।

3. लोकपाल अधिनियम 2014

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2014 दिसंबर माह मे संसद द्वारा पारित किया गया और 1 जनवरी 2014 को उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली । इस अधिनियम का उद्देश्य यह है की भ्रष्टाचार की रोकथाम करें और उस पर अंकुश लगाए। यह केंद्रीय स्तर पर लोकपाल नामक स्वतंत्र और शक्तिशाली संगठन के माध्यम से किया जाएगा। लोकपाल सभी तरह के लोकसेवकों की शिकायते प्राप्त करेगा, उनकी जांच करेगा और जहा आवश्यक है वहा सजा देंगा। यह सब इस कार्य के लिए स्थापित विशेष अदालतों के माध्यम से समयबद्ध तरीके से होगा। इस अधिनियम के अनुसार राज्य अपने स्तर पर लोकायुक्त संगठन बनाने के लिए एक वर्ष के भीतर कानून बनाएँगे।

लोकपाल निम्नलिखित लोगों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त करेंगा-

प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, सांसद, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, सरकारी सहायता प्राप्त सभी संस्थाओं के कार्यवाहक जिनकी वार्षिक आय एक विशिष्ट सीमा से अधिक हो और ऐसी सभी संस्थाए जिनको सालाना 10 लाख से अधिक विदेशी सहायता प्राप्त होती हो।

केन्द्रीय कर्मचारियों की शिकायतों को छोड़कर बाकी शिकायतो की प्रारम्भिक जांच लोकपाल अपनी स्वयं की जांच एजेंसी से या सी बी आई या अन्य जांच एजेंसी से करवाएगा। जांच एजेंसियो द्वारा 60 से 90 दिन के भीतर प्रारम्भिक जांच पूरी कर रिपोर्ट लोकपाल को प्रस्तुत की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की शिकायतों को लोकपाल केंद्रीय सतर्कता आयोग अ और ब श्रेणी के कर्मचारीयों की प्रारंम्भिक रिपोर्ट लोकपाल को सौंप देगा और क और ड श्रेणी के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अनुसार कार्यवाही करेगा। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रथम दृष्टि यदि प्रकरण बनता है तो लोकपाल सी बी आई या अन्य एजेंसियों से उन प्रकरणों में जांच करवाएगा या विभागीय जांच करवाएगा। यह जांच 6 माह से 12 के भीतर पूरी होगी और जांच रिपोर्ट संबंधित न्यायलय को सौंपी जाएगी जिसकी प्रति लोकपाल को दी जाएगी। प्रत्येक जांच रिपोर्ट पर लोकपाल के 3 सदस्यों से कम बेंच द्वारा विचार नहीं कीया जाएगा। विचार करने के बाद लोपाल अपने प्रासिकुशन विंग या जांच एजेंसी को विशेष अदालत में चार्ज शीट दाखिल करने को कहेगा या प्रकरण बंद करने के लिये कहेगा या विभागीय जांच करने के लिए कहेगा।

इस अधिनियम के अनुसार विशेष अदालतें स्थापित की जाएगी जो एक वर्ष के भीतर फैसला देगी। विशेष कारणवश यह अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है जिसके लिए कारणों को लिखित रूप से रिकार्ड करना होगा।

लोकपाल का चुनाव-लोकपाल के अध्यक्ष और 8 सदस्यों का चुनाव प्रधान मंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, लोकसभा में विरोधी पक्ष नेता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त न्यायाधीश और एक माने हुये न्यायविद की समिति द्वारा तथा समिति के अन्य 4 सदस्यों की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनाने के लिए 7 सदस्यों की सर्च समिति बनाई जाएगी। यह सूची चुनाव समिती के समक्ष रखी जाएगी। सर्च समिति और लोकपाल के कमसे कम आधे सदस्य अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं में से होंगे।

कमियाँ - (1) अबतक सी बी आई के डायरेक्टर का चुनाव सरकार के नुमाइन्दो की समिती द्वारा किया जाता था। इस अधिनियम के अनुसार सी बी आई डायरेक्टर का चुनाव प्रधान मंत्री, लोकसभा में विरोधी पक्ष नेता तथा सर्वोच्च न्यायालय क मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त न्यायधीश की समिति द्वारा किया जाएगाा। लोकपाल के पास सी बी आई पर केवल सिमित प्रशासनिक अधिकार होगा। सी बी आई के के अधिकारियों के तबादले के लिए लोकपाल की स्वीकृती ली जाएगी। सी बी आई सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगी। सीबी आई के वित्तीय अधिकार, कर्मचारियों के नियुक्ति के अधिकार तथा उच्च अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट लिखने के अधिकार सरकार के पास में ही होंगे। इस तरह सी बी आई के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सरकार के पास में ही होंगे। इस प्रकार सी बी आई न तो

सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र रहेगी और न ही उसके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार लोकपाल के पास होंगे।

(2) अदालतों द्वारा निर्णय में हो रही देरी को देखते हुए भ्रष्टाचार के प्रकरणों में विशेष अदालतों द्वारा अधिकतम 2 वर्ष की समय सीमा के भीतर निर्णय देना होगा यह प्रावधान स्वागत योग्य है। परंतु किसी अपरिहार्य कारण की वजह से यदि अदालत 2 वर्ष्ज्ञ के भीतर निर्णय नहीं दे सकी या अभियुक्त जानबूझकर मामाले में देरी कारवाता है अदालत 2 वर्ष के भीतर यदि निर्णय नहीं दे पाती तो उस समय सीमा के बाद उस प्रकरण का क्या होगा इसे अधिनियम में स्पष्ट नहीं किया गया है। इस कमी का फायदा लेकर निर्णय में देरी के कारण 2 वर्ष की समय सीमा के बाद दोषी दोषमुक्त हो सकता है।

(3) इस अधिनियम के अनुसार लोकपाल को यह अधिकार है की वह सी बी आई को भ्रष्टाचार के मामलो में जांच करने के आदेश दे सकती है। परंतु दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अनुसार सीबी आई जाईंट सेक्रेटरी तथा उससे उच्च पदस्थ अधिकारी के मामले में सरकार की अनुमति के बगैर जांच नहीं कर सकती। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के इस प्रावधान का बंधन सी बी आई को न रहे ऐसी कोई व्यवस्था लोकपाल अधिनियम में नहीं की गई है। सरकार इस कमी का लाभ जाईंट सेक्रेटरी और उनके ऊपर के भ्रष्ट अधिकारियों को दे सकती है।

(4) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकारों को अधिकार दिये है की वह अपने राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था बना सकते है। राज्य लोकायुक्त के अधिकार और के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में लोकपाल की जिस तरह की व्यवस्था होगी वैसी व्यवस्था राज्य सरकार बनाएँगे यह जरूरी नहीं है। राज्य सरकारों पर इस संबंध में बंधन लगाना जरूरी था। राज्य सरकार द्वारा यदि प्रभावी और स्वतंत्र लोकायुक्त की व्यवस्था नहीं की तो उस राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकेगा।

(5) इस अधिनियम के अनुसार पिछले 7 वर्षों में घटित भ्रष्टाचार की जांच की जा सकती है।

उसके पूर्व के भ्रष्टाचार की जांच करने का अधिकार लोकपाल को नहीं होगा। यह समय सीमा नहीं होनी चाहिए या बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि राजनैतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्टाचार सामान्यतः उस सरकार के 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद उजागर होते है। इस समयावधि के कारण अनेक बड़े भ्रष्टाचारी लोकपाल के जाल में नहीं आ पाएंगे।

(6) वर्तमान कानून के सहारे सरकार द्वारा निजी व्यक्ति या संस्था को पहुचाया गया लाभ सिद्ध करना कठिन है इसलिए अपराध कानून में आवश्यक बदल करना जरूरी है ताकि निजी संस्थाओं के भ्रष्टाचार को रोका जा सकें।

(7) लोकपाल के सदस्य और अध्यक्ष के विरूद्ध शिकायत पर भी विचार किया जाएगा जब उस शिकायत पर 100 सांसदों के हस्ताक्षर हो। अनुभव के आधार पर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है की ऐसे मामलों में राजनीति हावी होगी और दोषी या तो बच निकलेंगे या निर्दोष को दोषी बनाया जाएगा या प्रताड़ित किया जाएगा।

जनकल्याण के लिए बनाया गया हर कानून अच्छा होता है परंतु उस पर अमल नहीं होता। यह हर भारतीय का अपने सरकारी तंत्र के बारे में अबतक का अनुभव है। नीति तो अच्छी होती है परंतु नियत अच्छी नही हेाती है। लोकपाल हर वर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसपर संसद मे बहस होगी। यह देखा जाएगा की क्या लोकपाल द्वारा अपने कार्य का निर्वहन निष्पक्षता पूर्वक किया या नहीं। भारतीय संविधान की धारा 16 के अनुसार किसी नागरिक के साथ धर्म, जाती, लिंग के आधार पर भेद नही होना चाहिए परंतु वास्तविकता यह है की इन आधार पर भेदभाव संविधान लागू होने के 63 साल बाद भी हो रहा है। हिन्दू धर्म की जाती, वर्ग, लिंग और धर्म के आधार पर मानव के बीच भेद करने वाली शिक्षा इसका मुख्य कारण है। भारत में समता प्रस्थापित हुए बिना किसी भी कानून का निष्पक्षता के साथ पालन नहीं हो सकता। भारत में समता तभी प्रस्थापित हो सकती है जब भारतीयों द्वारा बुद्ध धम्म का स्वीकार किया जाएगा। इसलिए हर भारतीय का यह कर्तव्य है बुद्ध धम्म को समझे, उसे स्वीकार करें और उसका आचरण करें।

जहांतक लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2014 का प्रश्न है, इससे भ्रष्टाचार की रोकथाम आंशिक रूप से होगी क्योंकि वह लोगों के आचरण का भाग बन चुका है और व्यापक रूप धारण कर चुका है। भ्रष्टाचार या अन्य किसी भी बुराई को यदि जड़ से समाप्त करना है तो प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा पंचशील का आचरण करना आवश्यक है। इसलिए बुद्ध धम्म का स्वीकार करना जरूरी है अर्थात भारत बौद्धमय करना जरूरी है तब किसी भी बुराई की रोकथाम करने के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता ही नही होगी

आकडेवारी

अनुसूचित जाती/ जनजाति और ओ बी सी के आरक्षण की राज्यवार स्थिती

क्र.	राज्य	आरक्षण का वर्ष	ओ बी सी की जनसंख्या (प्रतिशत)		आरक्षण का प्रतिशत		
			ग्रामीण	शहरी	अनु.जाती/जनजाति	ओबीसी	कुल
1	तामिलनाडू	1927 और 1951	70.54	74.74	18	51	69
2	बिहार	1978	59.64	57.64	16	34	50
3	केरल		59.39	62.88	10	40	50
4	उत्तरप्रदेश	1979	54.64	45.37	23	27	50
5	आंध्रप्रदेश	1977	47.62	44.68	21	25	46.5
6	राजस्थान	1994	47.6	37.63			
7	गुजरात	1994	44.71	40.5	22	27	49
8	मध्यप्रदेश	1984	40.08	37.7			
9	ओड़िशा	1994	39.4	30.53	22	27.5	49.5
10	कर्नाटक	1962	38.84	39.38	18	32	50
11	महाराष्ट्र	1960	35.74	23.79	20	30	50
12	पंजाब		21.34	18.8	25	5	30
13	हिमाचलप्रदेश		15.48	9.18	22.5	5	27.5
14	आसाम				22	15	37
15	झारखंड				38	22	60

(स्त्रोत : टाटा इन्टीटयूट ऑफ सोशल सायन्स - 2008)

18 से 29 वर्ष आयु के विभिन्न सामाजिक-धार्मिक वर्गो द्वारा विभिन्न स्तर की शिक्षा के लिए प्रवेश

सामाजिक धार्मिक समुह	प्रायमरी	मिडल	माध्यमिक और उच्च माध्यमिक	स्नातक और उच्च	डिप्लोमा युजी	डिप्लोमा पीजी	जनसंख्या मे भागीदारी
हिंदू अनु जनजाति	8.1	6.4	5.4	3.7	2.8	5.4	7.6
हिंदू अनु. जाति	7.2	9.8	15.8	12.9	13.5	8.5	18.4
हिंदू ओ बी सी	47.1	61.2	31.9	31.5	31.1	28.0	34.2
अन्य हिंदू	22.2	11.9	29.0	38.3	37.0	41.5	22.1
मुस्लिम अनु.जाति/जनजाति	1.0	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2

अन्य मुस्लिम	7.6	3.1	6.7	4.4	2.7	5.0	7.5
क्रिश्चन अनु. जाति / जनजाति	1.4	2.6	2.0	0.8	1.3	2.7	1.0
क्रिश्चन ओ बी सी और अन्य	0.0	0.0	0.8	2.1	3.5	3.0	1.1
सिख	1.5	0.2	1.9	1.8	2.7	2.5	1.9
जैन और जोरास्ट्रीयन	0.0	0.0	0.2	0.9	0.1	0.5	0.2
बौद्ध और अन्य	3.0	0.6	2.4	1.0	1.3	0.8	0.9
मुस्लिम ओ बी सी	0.9	3.4	3.7	2.6	4.1	2.4	4.8
कुल	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

(स्त्रोत : टाटा इन्स्टीटयूट ऑफ सोशल सायन्स -2008)

- **छत्तीसगढ़ के आदिवासी महिलाओं की बिक्री और उत्पीड़न**

सम्पूर्ण भारत में आदिवासी उपेक्षित है और उनका शोषण हो रहा है। अशिक्षा और भोलेपन के कारण उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुत अधिक संख्या में रहते है। उनकी मजबूरी का लाभ लेकर नक्सली उन्हें नक्सलवादी बनाते है और सरकार भी उनका उत्थान नहीं करना नहीं चाहती। आर एस एस ने आदिवासी इलाकों स्कूल खोले है परंतु उनका उद्देश सरकारी तथा विदेशी सहायता का लाभ लेने का होता है। आदिवासी एक जिता-जागता इंसान तो है परंतु उसका उपयोग खिलौने की तरह किया जा रहा है। आदिवासी महिलाओं को दलालों के माध्यम से अन्य राज्यों में ले जाया जाता है और वहाँ उन्हें बंधक बनाकर उनसे बहुत ही कम मजदूरी देकर खूब काम लिया जाता है। इन महिलाओं को दिल्ली, हरियाण, पंजाब, तामिलनाडू इत्यादि राज्यों में ले जाकर 5000 से 50000 रूपये में बेच दिया जाता है। उनके साथ बलात्कार किया जाता है। वह इतनी असहाय होती है की अपना दुख किसी कों बता नहीं सकती। शायद देश का मीडिया भी उनके प्रति संवेदनशील नहीं है। उनकी इस भयानक स्थिति को कोई भी समझना नहीं चाहता और मानवता का परिचय नहीं देना चाहता।

2008 से 2012 के बीच गायब आदिवासी लड़कियों की जिला नुसार सरकारी संख्या इस प्रकार है-

रायपुर	498
बिलासपुर	985
दुर्ग	970
रागगढ़	529
बलौदा बाझार	495
जांगगिर चांपा	467
जगदलपुर	448
कोरिया	410
राजनान्दगाँव	405
सरगुजा	356
कोरबा	347
सूरजपुर	271
जशपुर	271
महासमुंद	266
बलरामपुर	193
धमतरी	192
कांकेर	161
बलोद	153
बेमेतरा	133
कबिरधाम	133
गारियाबंद	142
मुंगेली	113
बीजापुर	28
कोंडागाव	22
सुकमा	19
नारायणपुर	18

उपरोक्त सरकारी आंकड़े वास्तविकता से बहुत कम है।

इन आकड़ों के अनुसार लगभग 9000 आदिवासी लड़कियां पुलिस रिकार्ड के अनुसार लापता है। जबकि गैर सरकारी संस्थाओं के अनुसार हर साल लगभग 20000 आदिवासी लड़कियां लापता होती है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के अनुसार भारत में लगभग 25 लाख से 9 करोड़ लोगों का मानव व्यापार होता है।

6. सनातन संस्कृति हिन्दुत्व की ताकत है और वह भारत में अभी भी क्रियाशील है- मोहन भागवत

भोपाल में 3 जनवरी से 5 जनवरी तक हुए आर एस एस के संकल्प महाशिविर को संबोधित करते हुए आर एस एस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा की सनातन संस्कृति हिन्दू धर्म की ताकत है और भारत में वह क्रियाशील है। इस वक्तव्य पर आर एस एस के कार्यकर्ता विचार करते है और उस संस्कृति को बनाए रखने का काम करते है।

वर्ण व्यवस्था सनातन संस्कृति की देन है जिसके कारण जाती व्यवस्था प्रस्थापित हुई। इस संस्कृति के कारण मानव मानव में भेद किया जा रहा है। ईश्वर और आत्मा जैसी चीजें जो कभी अस्तित्व में न थी और ना ही उनपर विश्वास करने के लिए इस संस्कृति ने बाध्य किया। चमत्कार पर अभी भी विश्वास किया जा रहा है जबकि संसार में कोई भी घटना बगैर कारण के नहीं होती। इस संस्कृति ने पंडे के पुरोहित रूप में एजेंट पैदा किए जो लोगों को मूर्ख बनाते है ताकि ऐसे लोगों द्वारा उस संस्कृति को समर्थन प्राप्त हो। बिना परिश्रम किए इन पंडे पुरोहितों का उत्तम तरीके से भरण पोषण हो इसलिए संस्कार और त्योहार बनाए गए तांकी लोग इस संस्कृति के जाल में फंसे रहे, खर्च करते रहे और पंडे-पुरोहितों को दान देत रहे। शिक्षा के विकास के कारण इस अमानवीय संस्कृति पर्दाफाश होना निश्चित था। परंतु पंडित पुरोहित जमात के लोग यह जानते है की ज्ञान पर भावना हावी हो सकती है। भारतीयों की यह कमजोरी आर एस एस की ताकत बनी हुई है और वह उसे बनाए रखने में क्रियाशील है। असत्य की सत्य पर जीत हो रही है। सत्यमेव जयते को झूठा साबित किया जा रहा है। इसपर हर भारतवासी ने विचार गंभीरता से करना जरूरी है। भावनाओं में बह जाने की बजाय बुद्धीवादी बनना जरूरी है। सत्य और असत्य को जानना जरूरी है। असत्य का नाश और सत्य को बढ़ाना जरूरी है। अन्यथा भागवत और उनकी आर एस एस सनातन संस्कृति को महिमामंडित करते रहेंगे, भारत के लोगों की भावनाओं का लाभ उठाकर उन्हें मूर्ख बनाते रहेंगे, उन्हे मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखा जाएगा और मानवता को खतरा होगा।

• असीमानंद और 3 हिन्दुत्व आतंकवादियों के विरूद्ध न्यायालय ने अपराध दर्ज किए

एडिशनल सेशन जज गुरबिंदर कौर ने समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट के अपराधी हिन्दुत्व आतंकवादी असीमानंद और उसके 3 साथी कमलचंद, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा के विरूद्ध अपराध दर्ज किए। अब उनपर मुकदमा चलेगा। घटना के 7 साल बाद यह मुकदमा चलेगा।

18 फरवरी 2007 को दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में दो सूटकेस में रखे बम स्फोट किए गए थे। इस बम ब्लास्टं मे 68 लोगों की मौत हुई थी। 30 दिसंबर 2010 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दावा किया था की उसके पास पुख्ता सबूत है की इस बम ब्लास्ट में असीमानंद का हाथ था। उसके तथा उसके साथियों के विरूद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी और अब इतनी लंबी अवधि के बाद मुकदमा चलेगा। मुकदमा भी अब कई सालों तक चलेगा और हिंदूवादी व्यवस्था के रहते नतीजा क्या होगा कोई नहीं जानता।

उल्लेखनीय बात यह है की साध्वी प्रज्ञा सिंह के समान असीमानंद भी साधु है। साधु के वेश आतंकवादी होते है यह अब साबित हो गया।

9. असीमानंद ने बताया की समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट आर एस एस के सरसंघ चालक मोहन भागवत की सहमति से किया गया।

कारवां नामक विदेशी पत्रिका के फरवरी माह के अंक मे समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट के आरोपी हिन्दुत्व आतंकवादी असीमानंद का इंटरव्यू छपा है जिसमे असीमानंद ने यह कहा है की समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्टं आर एस एस सरसंघचालक मोहन भागवत की सहमति से किया गया था।

2011 से जनवरी 2014 तक उस पत्रिका की रिपोर्टर लीना गीता रघुनाथ असीमानंद से 4 बार मिली और उसका इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में असीमानंद ने यह बताया की जुलाई2005 में सूरत अधिवेशन के बाद मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार उससे डांग में जाकर मिले। उस समय सुनील जोशी वहाँ मौजूद था। जोशी ने मुस्लिमों पर बम ब्लास्ट करने की योजना भागवत को बताई । भागवत ने सहमति जताते हुए यह कहा की हिंदुओं के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है और

उसके लिए उनका आशीर्वाद है। भागवत ने यह कहा की वह इस काम में भाग नहीं लेंगे, असीमानंद ने रिपोर्टर को बताने के बाद उन्हें पत्रिका में छापा गया।

असीमांनद का इंटरव्यू छपने के बाद आर एस एस के प्रवक्ता राम माधव ने इसे संघ के खिलाफ सोची समझी साजिश बताया। उसके बाद असीमानंद ने भी इंटरव्यू में भागवत के नाम का उसके जिक्र नहीं किया गया ऐसा बताया। परंतु करवां पत्रिका के संपादक विनोद जोज ने कहा की असीमानंद की इंटरव्यू सही छापी है और वह जल्द ही असमानन्द की इंटरव्यू के टेप जारी करेंगे।

हिन्दुतव आतंकवादियों को आर एस एस का समर्थन प्राप्त है यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है जब संघ और बी जे पी के नेताओं ने मालेगांव बम कांड की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का समर्थन किया था।

10. वैष्णो देवी को नकली सोना और चाँदी चढ़ाई गई

• सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 5 वर्षों में वैष्णो देवी को 193.5 किलोग्राम सोना और 81,635 किलोग्राम चाँदी का चढ़ावा मिला है। इस चढ़ावे में 43 किलोग्राम सोना और 57,815 चाँदी नकली है। इस तथ्य से यह साबित होता है की या तो भक्तों ने स्वयं नकली सोना चाँदी चढ़ाया है या जो सोना चाँदी उन्होंने चढ़ाई वह उन्हें ज्वेलर्स ने ही नकली दी है। दोनों परिस्थितियों में ईमानदारी का अभाव है। यह केवल एक देवस्थान पर नहीं तो सभी देवस्थानों पर होता होगा। यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो इस तरह की बेईमानी को उसने रोकना चाहिए या वह बेईमानों का समर्थक है। यदि यह दोनों बातें नही होती है तो इससे एक बात साबित होती है वह यह है की ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है।

• आम के झाड़ को कवड़िया लगी - अंधविश्वास का नमूना

महाराष्ट्र के लातूर शहर के खडगाव रोड परिसर में सालुंखे नामक दंपति के घर के आँगन में आम का पेड़ है। आदमी के शरीर पर जिस प्रकार फोड़े होते है उस प्रकार उस पेड़ पर गांठे हुई जिसे कवड़िया लगी ऐसी अफवाह फैलाई गई। इस अफवाह को सुनकर अंधविश्वासी महिलाए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई और उस आम के झाड़ की पुजा करने लगी। अनेक पेड़ो पर गाँठे होती है उन्हें कवड़िया बताना भारत में संभव है क्यों कि यहा अंधविश्वास के कारण लोग अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते।

अंधविश्वास के ऐसे अनेक उदाहरण अखबारों में पढ़ने को मिलते है। अंधविश्वास के कारण लोगों के बड़े नुकसान होते है, यहाँ तक की लोगों की जाने जाती है फिर भी भारत के अधिकांश लोग अंधविश्वास के शिकार है। इस अंधविश्वास को लोगों के दिलों दिमाग में डालने और उसे बढ़ाने का काम हिन्दू पंडित पुरहित और साधुओं ने किया है। अनेक लोग शिक्षित होकर भी बुद्धि का उपयोग नहीं करने के कारण मूर्ख बने हुए है। बुद्धिमान बनकर अंधविश्वास से मुक्ति पाने से ही लोगों को कल्याण होगा।

• अंधविश्वास के कारण जीवन बर्बाद हुआ

मेडिकल स्टोर का मालिक मांत्रिक पर विश्वास करने लगा, उसका व्यवसाय बंद हुआ और चोर बना। यह नागपुर की सत्य घटना है।

नागपुर के कमाल टॉकीज चौक में मुश्ताक अहमद उर्फ भाईजान अब्दुल खालिद की अच्छी मेडिकल स्टोर थी। एक दिन उसकी एक मांत्रिक से मुलाकात हुई उस मांत्रिक के कुछ चेलो ने उसे बताया की मांत्रिक गुप्त धन निकालने में बड़ा माहिर है। उसने उस मांत्रिक पर विश्वास किया और अपना व्यवसाय छोड़कर उसके साथ घूमने लगा। कुछ दिनो बाद उसे मेडिकल स्टोर बंद करनी पड़ी और उसने कपड़े का व्यवसाय शुरू किया वह भी नहीं चल पाया।

मांत्रिक के साथ घूमते हुए वह दानों कोठारी नामक व्यवसायी के बंगले के सामने खडे हुए तब मांत्रिक ने उसे बताया की इस बंगले में कभी जाओ तो कम से कम 1 करोड़ की नगदी और 1 करोड़ का सोना मिलेगा। यह बात मांत्रिक ने उसे करीब तीन वर्ष पूर्व बताई थी। भाईजान की पहचान बच्चा नामक गुंडे के साथ थी। वह जेल से छुटकर आया तब भाईजान ने उसे लालच देकर काम करने की बात कही तो उसने मना कर दिया परंतु दूसरे राज्यों से गुंडे दिलाने की बात की। उन्होंने 2 करोड़ का माल मिलेगा इस सौदे के अनुसार दूसरे राज्यों से 6 गुंडे बुलाये जो 20 फरवरी को नागपुर पहुंचे। भाईजान ने जरीपटका इलाके में उनके लिए एक रूप किराए पर ली। वहा वह गुंडे 5-6 दिन रूके और चोरी को अंजाम दिया। उन गुंडो को कोठारी के बंगले पर केवल सवा छह लाख का माल मिला। माल कम मिलने के कारण गुंडे

भाईजान से नाराज हुए और उन्होंने उसे गालीगलोज किया। मिला हुआ माल आधा आधा बाँट लेने की बात हुई थी परंतु उन्होंने आधा माल भी भाईजान को नहीं दिया और नागपुर से चले गए। इधर भाईजान को पुलिस ने पकड़ लिया और अब वह सलाखों के पीछे है। इस तरह अंधविश्वास के कारण भाईजान का जीवन बर्बाद हुआ।

- **हर हिन्दू दंपत्ति ने 5 बच्चों को जन्म देना जरूरी है- अशोक सिंघल**

विश्व हिन्दू परिषद के संयोजक अशोक सिंघल ने भोपाल में एक पत्रकार परिषद में कहाँ की हर हिन्दू दंपति ने 5 बच्चों को जन्म देना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब इस देश में हिन्दू ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे।

अशोक सिंघल के उपरोक्त बयान से यह साफ प्रतीत होता है की उन्हें देश की नहीं हिंदुओं की फिक्र है। इन हिन्दू नेताओं में देश प्रेम कितना है इसे समझाा जा सकता है।

अशोक सिंघल ने यह भी कहा की धर्मांतर पर जल्द रोक लगाने की आवश्यकता है। इस वक्तव्य से यह समझा जा सकता है कि भारत में लोग हिन्दू धर्म त्यागकर अन्य धर्म का स्वीकार कर रहे है जिससे यह हिन्दू नेता डरे हुये है। लोग अब हिन्दू धर्म की बुराईयों को समझ रहे है और जो धर्म उन्हें अच्छा लगता हे उसे वह स्वीकार कर रहे है। संविधान द्वारा भारत के हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसलिए इन नेताओं के कहने से धर्मांतर को रोका नहीं जा सकता।

- **उत्तराखंड के पूर्व मंत्री द्वारा डी एम को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया**

उत्तराखंड के पूर्व मंत्री तिलकराज बैहड़ ने डी एम बृजेश कुमार संत को जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए अपमानित किया। इस घटना से दलित समुदाय के लोगों में आक्रोश है।

पंत नगर एयरपोर्ट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और उत्तराखंड की प्रभारी अंबिका सोनी के बिदाई हेतु बृजेश कुमार संत और अन्य प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे। उस वक्त पूर्व मंत्री तिलकराज बैहड़ और अन्य नेता भी मौजूद थे। विजय बहुगुणा और अंबिका सोनी की बिदाई के बाद बैहड़ किसी बात से नाराज हुए और सभी के सामने उन्होंने बृजेश कुमार संत को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। इस प्रकार एक नेता ने आई ए एस अधिकारी को अपमानित किया।

यह घटना इस बात को दर्शाती है की भारत में जातिद्वेष बड़े पैमाने पर है। अनेक अधिकारी जातिद्वेष के कारण कहीं न कहीं अपमानित हो रहे है परंतु स्वाभिमान की कमी के कारण उस अपमान को सहन कर रहे है। अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाते ऐसे अधिकारियों से समाज के स्वाभिमान की रक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिनकी मानवता नष्ट की गई थी उस समाज के लिए बाबासाहेब ने आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया ताकि वह अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधार कर स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। बाबासाहेब को इन पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद थी की वह अपने समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। बड़े दुख की बात है की आज बाबासाहेब की उम्मीद के विपरीत स्थिति है। संवैधानिक अधिकारों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर समाज के व्यक्ति जातिद्वेष के कारण अपमानित हो रहे है। हर कोई अपमानित होने वाले व्यक्ति में जातिवाद के विरोध में चीड़ पैदा होने की आवश्यकता है तभी जातिवाद के विरोध में विद्रोह पैदा हो सकता है।

- **संसार के सर्वोच्च विश्वविद्यालयों की सूची में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं**

गुणवत्ता के आधार पर भारत की उच्च शिक्षा संसार के अन्य देशों की उच्च शिक्षा के मुकाबले मे बहुत निम्न स्तर की है। यह टाइम्स हाडयर एजुकेशन (Times Higher Education) पत्रिका वर्ष 2014 में प्रकाशित वर्ल्ड रेपुटेशन रैकिंग (World Reputation Rankings) से स्पष्ट हुआ है। गुणवत्ता के आधार पर संसार के देशों के 100 सर्वोच्च विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के एक भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है।

इस सर्वेक्षण के आधार पर प्रथम स्थान पर अमेरिका का हार्वर्ड विश्वविद्यालय, दूसरे स्थान पर मसचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी, तीसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, चौथे स्थान पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पांचवे स्थान पर और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय छटवे स्थान पर है।

एक वक्त था जब नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय संसार के सर्वोच्च विश्वविद्यालय थे और आज एक भी

विश्वविद्यालय उच्च कोटी का नहीं है। यही फर्क है बौद्ध भारत और हिन्दू भारत में।

- **संसार के निरक्षरों में 37 प्रतिशत निरक्षर भारत में है**

संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन द्वारा प्रकाशित आकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक 28 करोड़ 70 लाख प्रौढ़ निरक्षर नागरिक है। यह संख्या संसार के निरक्षरों में

37. 37. प्रतिशत है जो अन्य देशों के निरक्षरों की तुलना में सर्वाधिक है।

उपरोक्त आकड़ो से यह प्रतीत होता है की भारत में चलाये जा रहे साक्षरता अभियान में बहुत तेजी लाने की आवश्यकता है। यह पिछड़ापन भारत के लिए शर्म की बात है। 2012 में भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 14 लाख बच्चों की और नायजेरिया में 8 लाख बच्चों की मौत हुई है। यदि महिलाए शिक्षित होती है तो इन देशों में अनेक बच्चों के प्राण बच सकते है ऐसा संयुक्त राष्ट्र का मानना है।

- **अल्पसंख्यको के लिए समान अवसर आयोग स्थापित होगा**

भारत मे अल्पसंख्यको के साथ भेदभाव होता है। यह भेदभाव सरकारी तंत्र तथा बहुसंख्यक हिंदुओं द्वारा किया जाता है। विशेषतः नौकरी तथा नौकरी के क्षेत्र में भेदभाव होता है। इस भेदभाव पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समान अवसर आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है। ए के अंटोनी की अध्यक्षता वाली मंत्रियों की समिति ने यह निर्णय लिया है।

भारत में सविधान का पालन नहीं होता है इसे सब जानने लगे है। अल्पसंख्यको के साथ भेदभाव करना कानून का उल्लंघन करना है। संविधान के अनुच्देद 16 के अनुार जाती, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब इस प्रावधान का उल्लंघन होता है तो दोषी पर कानूनन कार्यवाही होनी चाहिए। जबतक अपराधी पर कार्यवाही नहीं होती आयोग गठित करने का कोई लाभ नहीं होगा। यदि व्यक्तिगत शिकायत पर या आयोग की सिफारिश पर कार्यवाही नहीं होती है तो इस आयोग का अल्पसंख्यको को कोई लाभ नहीं होगा आयोग पर खर्चों का बोझ भी सरकार पर बना रहेगा। वर्तमान मे अल्पसंख्यक आयोग है। उसके अधिकार बढ़ा दिये जाय और उसे आवश्यक सुविधाए दी जाय और आयोग की सिफारिशों पर कडक कार्यवाही की जाय तो अल्पसंख्यको के लिए दूसरा आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार तो ऐसा महसूस होता है की कार्यवाही टालने के लिए आयोग का गठन किया जाता है।

- **भारत फ्रजाइल फाईव में एक**

फ्रजाइल फाइव उन पाँच विकासशील देशों को कहा जाता है जो आर्थिक विकास के लिए विदेशी निवेशकों पर आश्रित होते है। यह देश है - भारत, तुर्की, ब्राजील, दक्षिण आफ्रीका और इन्डोनेशिया । विदेशी निवेशक इन देशों को फ्रजाइल फाइव कहते है। वर्तमान में इन देशो की विकास की गति कम हुई है और चलन (Currency) का अवमूल्यन हुआ है।

- **बुद्धिमता के गुण की सूची (Intellectual Property Index) में भारत सबसे नीचे**

बौद्धिक गुण के आचरणों का संरक्षण और कार्यान्वय के संबंध में अमेरिका चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बनाई गई संसार के 25 देशों की सूची में भारत सबसे निचले क्रमांक पर है। अमेरिका 30 में से 28.5 गुण हासिल कर प्रथम क्रमांक पर तथा भारत 7 गुण लेकर आखरी क्रमांक पर है। भरत पिछले वर्ष भी सबसे निचले क्रमांक पर था अ ैर इस साल भी सबसे निचले क्रमांक पर है।

अमेरिकन चेम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर ने 30 ऐसे मुद्दों को लेकर, जो विकास और प्रगति को बढ़ावा देनेवाले बौद्धिक गुण के दर्शक है, संसार के 25 देशों का खाका बनाया। अमेरिका कुल मिलकर सभी मामलों में सबसे उँचे स्थान पर है परंतु कार्यान्वय के मामले में तीसरे स्थान पर है। कार्यान्वयन के मामले में ब्रिटेन प्रथम और फ्रांस दूसरे स्थान पर है।

- **किसानो की तुलना मे बड़े उद्योगों के दो गुना से अधिक कर्ज माफ**

भारत सरकार पूँजीपतियों की हितचिंतक है। यह इस बात से भी साबित होता है की पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार ने बड़े उद्योंगो के 1 लाख 40 हजार रूपये के कर्ज माफ किए जबकि किसानो के 60 हजार करोड़ के कर्ज माफ किए गए। किसानों की कर्जमाफी की खूब चर्चा होती है परंतु पूंजीपतियों की दोगुना से अधिक कर्जमाफी की चर्चा नहीं होती है, उसे छुपाया जाता है। दिखने के दात कुछ और खाने के दात कुछ

और इस कहावत के अनुरूप भारत सरकार काम करती है।

कर्ज वापसी की उम्मीद नहीं होने के बावजूद बहुत से उद्योगों को कर्ज दिये गए। पिछले 7 वर्षों में ऐसा 4 लाख 95 लाख रूपये का कर्ज वसूल नहीं हो सका। जिनसे कर्ज की वापसी नहीं हो सकी उनमें से बड़े कर्जदार इसप्रकार है।

उद्योगों का नाम	कर्ज बाकी (करोड़ो में)
किंगफिशर एअरलाइन्स	2673
विनसम डायमंड	2660
इलेक्ट्रोथर्म इंडिया	2211
स्टर्लिंग बायोटेक	1732
एस कुमार्स नेशनवाइड	1692

इस देश का पूंजीपति जनता के करोड़ो रूपये लेकर ऐशोआराम कर रहा है और किसान आत्महत्या कर रहा है। पूंजीपति कर्ज कैसे वापस नहीं किया जा सकता उसके रास्ते निकालता है और किसान कर्ज कैसे वापस किया जाय इस चिंता में डूबा रहता है। राज नेताओं को घूंस देने के कारण पूँजीपतियों से करोड़ो रूपयों की वसूली करने मे शिथिलता बरती जाती है जबकि किसानो पर कड़ाई की जाती है क्योंकि उसके पास नेताओ को देने के लिए पैसा नहीं होता है। पूंजीपति सत्ता और विपक्ष दोनों के नेताओं को घूंस देता है। सत्तापक्ष के नेता को अपना मतलब पूरा करने के लिए मुह खोलने के लिए घूंस देता है और विरोधिपक्ष के नेता को इसलिए घूंस देता है की वह अपना मुह बंद रखे। पूंजीपति घूंस दो तरह से देता है। वह चुनाव के वक्त घुस देकर एडवांस बुकिंग करता है और वक्त आनेपर भी घुस देता है ताकि कभी कोई रूकावट न आए।

- **राजनैतिक पार्टियों को बड़े उद्योग समूहों से 87 प्रतिशत चंदा मिला है**

असोशियसन फॉर डेमोक्राटिक रिफार्म्स नामक संस्था के अभ्यास के अनुसार राजनैतिक पार्टियों को बड़े उद्योग समूहो से 87 प्रतिशत चंदा वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच प्राप्त हुआ है। इस संस्था के अनुसार राजनैतिक पार्टियों ने उन्हें मिले चंदे का केवल 25 प्रतिशत स्त्रोत बताया है और उसी के आधार पर यह अभ्यास किया गया है। इस संस्था के अनुसार राजनैतिक पार्टियों ने 435 करोड़ रूपये के चंदे का हिसाब बताया है जिन में उन्हें बड़े उद्योग समूहो का चंदा 378 करोड़ (87) है।

प्रमुख पार्टियों को बड़े उद्योग समूहो से प्राप्त चंदा इस प्रकार है।

भाजपा	192 करोड़
कांग्रेस	172 करोड़
राष्ट्रवादी कांग्रेस	12.28 करोड़
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी	1.78 करोड़
भारतीय कम्युनिस्टं पार्टी	11 लाख

प्रमखु उद्योग समूहों से कांग्रेस और भाजपा को इस प्रकार चंदा मिला है।

उद्योग समूह	कांग्रेस	भाजपा
बिरला उद्योग समूह	26.6 करोड़	36.4 करोड़
टोरंट पावर कंपनी	11.8 करोड़	13 करोड़
भारती उद्योग समूह	11 करोड़	10 करोड़

उद्योग समूहो के ट्रस्ट से सर्वाधिक 70 करोड़ रूपये कांग्रेस को मिले। कारखाने वालों से सर्वाधिक 58.2 करोड़ रूपये और तेल कंपनियो से 23 करोड़ भाजपा को मिले। मायनिंग और निर्माण कार्य की कंपनियों से कांग्रेस तथा रियल इस्टेट कंपनियो से 17 करोड़ भाजपा को मिले। विदेशो से कांग्रेस को 9.8 करोड़ तथा भाजपा को 19.8 करोड़ चंदा मिला। विदेशी वेदान्त, रीजेन्सी और डाऊ कंपनिया प्रमुख है।

- **देश की प्रमुख राजनैतिक पार्टियों को सूचना आयोग की नोटिस**

केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा 3 जून 2013 के आदेश के अनुसार सभी राष्ट्रीय पार्टियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था और सभी पार्टियों को निर्देश दिये थे की वह अपने सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करे ताकि नागरिकों द्वारा सूचना अधिकार के अंतर्गत किए गए आवेदन पर उन्हे सूचना दी हा सके। परंतु कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बसपा, सी पी आई, सी पी एम इन पार्टियों ने आदेश का पालन नहीं किया।

सूचना का अधिकार कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने आदेश का पालन नहीं होने के कारण आयोग को 3 आवेदन पत्र दिये।

इस कार्यकर्ता द्वारा सूचना आयोग से मांग की है की उसके निवेदन पर जल्दी सुनवाई कर चुनाव आयोग से इन पार्टियों की मान्यता खारिज की जावे। उसके आवेदनों पर सुनवाई के बाद आयोग ने 7 फरवरी को सभी पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन पार्टियो द्वारा यदि समाधानकारक उत्तर नही दिया तो इन पार्टियों पर 25 हजार रूपये का दंड या उनकी मान्यता भी निरस्त हो सकती है। अपनी मनमानी करने वाली इन पार्टियों के लिये अब यह चिंता का विषय है।

- **चुनाव आयोग द्वारा 75 प्रतिशत मतदान का कक्ष**

इस वर्ष चुनाव आयेाग द्वारा 75 प्रतिशत मतदान का लक्ष रखा है। मतदाताओं में जागृति के लिए स्वीप कार्यक्रम शुरू किया है। जन जागृति के कार्यक्रमों के बावजूद पूर्व में हुये मतदान को देखते हुए यह लक्ष हासिल करना मुश्किल है। चुने गए प्रत्याशियों की अकार्यक्षमता से लोग मतदान करने के लिए उदासीन है। 1951 में मतदान का प्रतिशत 44.87 था जो 1984 मे सर्वाधिक 63.56 हुआ। उसके बाद वह गिरता गया। पिछले 2009 के लोसभा चुनाव मे वह 59.19 था। 1951 के लोकसभा चुनाव के बाद 2009 तक हुए चुनावों में मतदान का प्रतिशत इस प्रकार है।

वर्ष	मतदान का प्रतिशत
1951	44.87
1957	45.44
1962	55.42
1967	61.04
1971	55.27
1977	60.49
1980	56.92
1984	63.56
1989	61.95
1991	56.73
1996	57.94
1998	61.97
1999	59.99
2004	58.07
2009	58.19

(स्रोत : चुनाव आयोग)

- **उत्तर कोरिया में हुए चुनाव में प्रत्येक मतदार संघ से केवल एक प्रत्याशी**

हाल ही में सम्पन्न उत्तर कोरिया के चुनाव में हर मतदार संघ में केवल एक प्रत्याशी था। उसके विरोध में दूसरा कोई नही था। उत्तर कोरिया के सुप्रीम पीपल्स असेंब्ली के लिए हर पाँच साल बाद चुनाव होता है। इस साल करीब 700 मतदार संघ में प्रत्येक मतदार संघ से सरकार मान्यता प्राप्त केवल एक प्रत्याशी था। इसलिए कोई भी मतदार संघ की मतपत्रिका केवल एक ही नाम था। मतदान सभी के लिए अनिवार्य होने के कारण कुछ अपवाद छोड़ दिये तो मतदान सौ प्रतिशत हुआ। इसलिए यह चुनाव संसार के अन्य देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी चुनाव लड़ा और वह भी 100 प्रतिशत वोट लेकर चुने गए।

- **गुजरात का 11 रूपये कमाने वाला ग्रामीण गरीब नहीं**

गुजरात के ग्रामीण भाग में प्रतिदिन 11 रूपये कमाने वाला और शहरी भाग में प्रतिदिन 17 रूपये कमाने वाला गरीब नहीं। गुजरात सरकार ने इस प्रकार को आदेश निकालकर गरीबों का मजाक किया है। इतनी कमाई करने वाले को भूखा रहने के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। अर्थात गुजरात में भूखा रहने वाला गरीब नहीं है। इससे गुजरात सरकार के बौद्धिक दिवलियेपन के अलावा कुछ और नजर नही आता।

गुजरात के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिमाह 324 रूपये तथा शहरी क्षेत्र में प्रतिमाह 501 रूपये कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं ऐसा कहा गया है। इस आदेश के अनुसार 10 रूपये 80 पैसे से कम कमाने वाला ग्रामीण और 16 रूपये 80 पैसे से कम कमाने वाला शहरी गरीब है। इस आदेश की सभी ने निंदा की है। नरेंद्र मोदी के भाई प्रल्हाद मोदी ने भी इस आदेश की निंदा की है। उनके अनुसार गुजरात के 31 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है।

केंद्रीय योजना आयोग ने 26 रूपये प्रतिदिन कमाने वाले ग्रामीण और 32 रूपये प्रतिदिन कमाने वाले शहरी को गरीब नहीं माना था। केंद्र सरकार के इस फैसले की नरेंद्र मोदी ने निंदा की और कानपुर की सभा में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह को निशाना बनाया था। अब नरेंद्र मोदी तो मनमोहन सिंह से

भी निकृष्ट निकले। यदि नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री बनते है तो गरीबों का क्या हाल होगा इसे समझा जा सकता है।

- **पिछले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की स्थिती**

लोकसभा चुनाव 2009

क्र	पार्टी/निर्दलीय	पार्टी संख्या	चुनाव लड़े	प्रत्याशी विजयी प्रत्याशी
1	राष्ट्रीय पार्टीया	7	1623	376
2	प्रादेशिक पार्टीया	34	394	146
3	अन्य पंजीकृत पार्टीया	312	2202	12
4	निर्दलीय		3831	09
5	कुल	353	8050	543

- **बिहार में एक और विश्वविद्यालय के अवशेष मिले**

पुरातत्व वेत्ताओं को बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर तेल्हारा में एक और बुद्धीष्ट विश्वविद्यालय के अवशेष मिले है। पुरातत्व विभाग के निर्देशक अतुल कुमार वर्मा के अनुसार चीनी पर्यटक हुएन त्संग द्वारा इस विश्वविद्यालय के संबंध में लिखा हुआ है। उसी आधार पर 2009 में नालंदा जिले के एकांगलसराई ब्लॉक के तेल्हारा में उत्खनन प्रारम्भ किया गया था जो अभी भी जारी है। यह विश्वविद्यालय 7 वी सदी में था जहां उच्चकोटी की शिक्षा दी जाती थी । वर्मा के अनुसार यह या तो नालंदा विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा के लिए बनाई गई शाखा थी या वह नालंदा विश्वविद्यालय के समान उच्च शिक्षा का दूसरा केंद्र था।

उत्खनन में बुद्ध विहार भी मिले है तथा 1000 भिक्षु बैठकर वंदना कर सकते इतना बड़ा चबूतरा मिला है। हयुत्संग द्वारा लिखे अनुसार गुप्ता और पाला के काल के अवशेष मिले है।

- **डॉ. सीमा साखरे को स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया गया**

नागपुर की बुद्धिस्ट जेष्ठ समाजसेविका डॉ. सीमा साखरे को स्त्री शक्ति पुरस्कार -2013 दिया गया। यह पुरस्कार महिला दिन के अवसर पर दिनांक8 फरवरी को राष्टपति द्वारा प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय महिला और बालविकास मंत्रालय द्वारा हर साल देश में महिलाओं के विकास और सबलिकरण के लिए काम करने वाली समाज सेविका को दिया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार देश की 6 महिलाओं को दिया गया। नागपुर की डॉ. सीमा साखरे, ओड़ीसा की मानसी प्रधान, आंध्रा की डॉ. वैंकय्या, आंध्रा की ही टी. राधा, दिल्ली की डॉ. वर्तिका नन्दा और महाराष्ट्र की बिनासेठ लष्करी को यह पुरस्कार दिया गया।

इस अवसर पर राष्टपति द्वारा कहा गया की महिलाओ के सबलिकरण के लिए सामाजिक वर्तन और मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। केवल कानून बनाने से महिलाओं की समस्याओं का निराकरन नहीं हो सकता उनपर सख्ती से अमल होना जरूरी है।

भारत मे बहुसंख्यक लोग हिन्दू धर्म को मानने वाले लोग रहते है और वह सब धर्मांध है। हिन्दू धर्म की शिक्षा के अनुसार महिलाओं को निचला दर्जा प्राप्त है। इसलिए जबतक भारत में हिन्दू धर्म रहेगा महिलाओं को समानता का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता और महिलाओं का सबलिकरण नहीं हो सकता, कानून बनाए गए है परंतु जबतक मानसिकता नहीं बदलती तबतक उनपर अमल नहीं हो सकता। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यह बुद्ध धम्म के मूल तत्व है। इसलिए हिन्दू धर्म का त्याग किए बिना और बुद्ध धम्म का स्विकार किए बिना भारत में समता प्रस्थापित नहीं हो सकती और स्त्रियों का उद्धार नही हो सकता।

- **पिछले 60 वर्षों में लोकसभा चुनाव पर खर्च 20 गुना बढ़ा**

लोकसभा चुनाव में कानून और व्यवस्था पर राज्य सरकार खर्च करती है, बाकी सब खर्च केंद्र सरकार करती है। 1952 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2009 के चुनाव तक चुनाव खर्च लगभग 20 गुना बढ़ा। हर मतदाता पर औसतन 60 पैसे खर्च होता था जो 2009 मे 12 रूपये हुआ। अबतक हुए चुनावों मे सर्वाधिक प्रति मतदाता खर्च 17 रूपये 2004 में हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है की 2009 में खर्च के मुकाबले अब होनवाले चुनाव में दो गुना खर्च होगा। 1952 के

चुनाव से 2009 तक हुए खर्चे इस प्रकार है।

वर्ष	खर्च(करोड़ में)
1952	10.45
1957	05.9
1962	07.32
1967	10.8
1971	11.61
1977	23.04
1980	54.77
1984	81.51
1989	154.22
1991	359.1
1996	597.34
1998	666.22
1999	947.68
2004	1113.88
2009	846.67

(स्त्रोत :चुनाव आयोग)

29. महिला से संबंध होने के कारण आर एस एस ने वरिष्ठ पदाधिकारी को पद से हटाया आर एस एस के बुहसंख्य प्रचारक अविवाहित होते है। अविवाहित वरिष्ठ प्रचरको को ही आर एस एस महत्वपूर्ण पद देती है। के सी कन्नन 2012 से सह सरकार्यवाहक थे। उनके एक महिला के साथ संबंध है यह मालूम होने पर बंगलोर में हुई प्रतिनिधी सभा में उन्हें सह सरकार्यवाहक के पद से हटाने का निर्णय आर एस एस ने लिया है।

शेष पान 8 से ...

नामांकन पत्र दाखिले के समय वह स्वयं उपस्थित नहीं हो सका। पिछले दो माह पहले इंग्लैड में उच्च शिक्षा के लिये हमारे 30 छात्र भेजे गये। उनमें मातंग, महार, ढोर और भंगी हैं। मेरे पास जातिभेद के लिये कोई जगह नहीं है।

इस समय मेरा बीजापुर, अहमदनगर और बेलगाँव जैसे स्थानों पर जाना असम्भव है। भारत के सभी प्रदेशों के लोग चिल्लाते है कि आप हमारे प्रदेश में अब तक क्यों नहीं आये ? मुझे यह कहने में गर्व होता है कि मुम्बई इलाके में जबर्दस्त राजनीतिक जाग्रति आई है। ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि वीजापुर जिले के कुछ लोग यहाँ आये हैं। उन्होंने भी मान्यवर काले जी को अपना मत देना चाहिये। और अहमदनगर के मतदाताओं ने अपना मत मान्यवर रोहन को देना चाहिये।

मैंने जो उम्मीदवार खड़े किये हैं वे कांग्रेस के किसी लालच के सामने झुके नहीं हैं। वे कसौटी पर कसकर तैयार किये गये हैं। यहाँ पैसों में बिकनेवाले लोगों की जरूरत नहीं है। हम लोग मुम्बई असेम्बली में 2 साल 7 माह तक रहे। हमारे 15 लोग वाद-विवाद में, अनुशासन में, राजनीति में, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आस्थावान थे। यदि बौद्धिक दृष्टि ो देखें तो मैं ही उसके लिए पर्याप्त हूँ। (तालियाँ) हम लोगों को आनेवाली पीढ़ी का रास्ता आसान करना है। दो हजार सालों से हमारे पूर्वज गुलामी को चुपचाप बर्दास्त कर रहे हैं। क्या आज भी हम उसी गुलामी को बर्दास्त करते रहेंगे ? (नहीं! नहीं! की आवाज) मुस्लिमों को जिन बातों को पाने में 20 साल लड़ना पड़ा उन बातों को हमने दो साल में हासिल किया है।

गुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे

कौन डरता है मौत से एक चोखाजी गांगुर्डे मर गया तो क्या हुआ ? मुझे हर साल छह महीने में 'गोली से मार देंगे, कत्ल कर देंगे' इस प्रकार के बेनामी खत मिलते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिये कि यह अखिल भारतीय अछूतों की लड़ाई है। इसलिये हर नर-नारी को पोलिंग बूथ पर इकट्ठा होकर अपने उम्मीदवार को मत देना चाहिये।

न्यायपालिका

- **जी टीवी पर चलाई जा रही बुद्धा सीरियल बदं करे**

जी टीवी पर बुद्धा सीरियल चलाई जा रही थी। इस सीरियल बुद्ध का इतिहास और चरित्र झूठा बताया जा रहा था। यह बुद्ध का अपमान था। इसलिए समता सैनिक दल द्वारा इस सीरियल का प्रसारण बंद करने हेतु उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्या. वजीफदार ने कहा की यदि इस सीरियल के प्रसारण से किसीकी भावना को चोट पहूँचती है तो इस प्रसारण को बंद करना चाहिए। इस प्रकार के निर्देश उच्च न्यायालय ने दिये और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बुद्धा सीरियल के निर्माता बी.के. मोदी को नोटिस भेजी है।

- **न्यायाधीश को आदर से 'सर' कहकर सम्बोधन करना पर्याप्त है**

न्यायालय में न्यायधीश को उनका सम्मान बना रहे ऐसा आदर सूचक कोई भी सम्बोधन पर्याप्त है। न्यायाधीश को माई लॉर्ड, युवर लॉर्डशिप, युवर आनर ऐस शब्दों का प्रयोग करने का बंधन नहीं है। इन सब का प्रयोग परंपरागत रूप से किया जा रहा है। परंतु इनका प्रयोग नकारते हुए केवल सर कहकर सम्बोधन किया तो भी पर्याप्त है यह सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है।

शिवसागर तिवारी नामक वकील द्वारा इस प्रकार की याचिका दायर की गई थी की माय लार्ड, यूअर आनर, युवर लॉर्डशिप कहकर न्यायधीशों को संबोधित करना ब्रिटिश सरकार द्वारा लादी गई गुलामी की परंपरा है इसलिए इस प्रकार के संबोधनों पर न्यायालय रोक लगाए। इस याचिका पर सूनवाई करते समय न्या. एच. एल. दत्तू और न्या. शरद बोबडे के खंडपीठ ने उपरोक्त स्पष्टीकरण दिया। याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए खंडपीठ ने यह कहा की इस प्रकार का सम्बोधन नहीं करे ऐसा आदेश न्यायालय पारित नहीं कर सकता। कोई इस प्रकार सम्बोधन करे या सर कहकर सम्बोधन करे न्यायालय को कोई आपत्ति नही होंगी।

- **फांसी देने के लिए भी संविधान के प्रावधानों का पालन अनिवार्य- दिशानिर्देश तय किए गए।**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार हर भारतीय नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है। यह अधिकार उसे अपनी आखरी सांस तक है। कानून के अनुसार यदि किसी को फांसी की सजा हुई है तो उसे फांसी होने तक सरकार द्वारा संविधान का पालन कराना अनिवार्य है। उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दिशानिर्देश बनाए है वह इस प्रकार है।

1. दया की अर्जी खारिज होने पर 14 दिन के बाद फांसी दी जाती है । दया की अर्जी खारिज होने और फांसी देने के बीच कम से कम 14 दिन की अवधि होना जरूरी है। दया की अर्जी खारिज हुई इसकी जानकारी कैदी के परिवार को फांसी के भरपूर समय पूर्व देनी चाहिए।

2. कैदी की मानसिक जांच और इलाज करना चाहिए।

3. सरकार राष्ट्रपति को दया की अर्जी के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज एकसाथ भेजे और राष्ट्रपति की ओर से यदि निर्णय लेने में विलंब होता है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय उन्हें स्मरण पत्र भेजे।

4. दया की अर्जी खारिज होने के बाद उसे लिखित रूप से कैदी और उसके परिवार को सूचित करे।

5. दया की अर्जी खारीज होने के आदेश की कॉपी कैदी को देना जरूरी है ताकि वह उस आदेश के विरूद्ध न्यायालय में जा सके।

6. फांसी देने के पूर्व कैदी को उसके परिवार और नजदीकियों से आखरी मुलाकात करने की व्यवस्था जेल प्रशासन ने कराना अनिवार्य है।

7. कैदी को एकांतवास में नहीं रखना चाहिए।

8. कैदी की दया की अर्जी खारिज होनेपर उसे कानूनी मदत उपलब्ध करानी चाहिए। इसलिए जेल प्रशासन ने नजदीकी विधि सेवा केंद्र से इस बाबत संपर्क करना चाहिए।

9. दया की अर्जी खारिज होने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु उसकी केस में सभी न्यायालयों के निर्णय और संबन्धित अन्य निर्णय कैदी को उपलब्ध कराना चाहिए।

10. मानसिक दृष्टि से तंदुरूस्त कैदी को ही फांसी दी जा सकती है। इसलिये डेथ वारंट निकाने के बाद कैदी की मेडिकल जांच कराना जरूरी है।

11. कैदी के कम से कम हाल हो इसलिए फास पर लटकाने के बाद उसकी तुरंत मृत्यू हुई या वह कुछ देर फास

पर लटका रहा यह जानने के लिए उसका पोस्टमोर्टम कराना अनिवार्य है।

- **कॉलेज में धर्म पर आधारित दाखिले का सरकारी आदेश निरस्त**

धर्म के आधार पर कॉलेज में दाखिले में आरक्षण के तामिलनाडू सरकार के आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय ने निरस्त किया। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल और न्या. सत्यनारायन के खंडपीठ ने यह निर्णय दिया। अल्पसंख्यको द्वारा चलाये जा रही शिक्षा संस्थाओं में इस प्रकार के आरक्षण का पालन करने की आवश्यकता नहीं ऐसा न्यायालय ने स्पष्ट किया।

- **एफ आई आर में नाम नहीं होने के बावजूद कोई व्यक्ति दोषी हो सकता है**

सर्वोच्च न्यायलय के संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया है की यद्यपि किसी वयक्ति का नाम एफ आई आर में नहीं है परंतु न्यायालय में सुनवाई के दौरान यदि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सबूत मिलते है तो उसे दोषी माना जा सकता है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम, न्या. बी एस चौहान, न्या. रंजना प्रकाश देसाई, न्या. रंजन गोगाई और न्या. एस ए बोबडे के संविधान पीठ ने दिया।

सामान्यतः यह होता है की जिस व्यक्ति के विरूद्ध एफ आई आर होता है उसे दोषी मानकर न्यायालय में मामला चलता है। न्यायालय में उस व्यक्ति का दोष साबित करने के लिए सबूत जुटाए जाते है। यदि वह दोषी साबित नहीं होता है तो न्यायालय उसे दोषमुक्त करता है। उसके बाद उस न्यायालय से वह प्रकरण समाप्त होता है। कोई अपराधिक घटना होती है तो उसका कोई न कोई दोषी होता है। उसका नाम एफ आई आर में नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध मामाला दर्ज नहीं होता है और उसे सजा नहीं मिलती । निर्दोष का नाम एफ आई आर में लिखने के कारण वह दोषमुक्त होता है। कानून के मुताबिक अपराधी को सजा मिलनी चाहिए परंतु एफ आई आर में नाम नहीं होने के कारण उसे सजा नहीं मिलती । कानून के पालन की दृष्टि से यह निर्णय अति महत्वपूर्ण है।

- **महिलाये लैंगिक शोषण की शिकायते सीधे सर्वोच्च न्यायालय की कमिटी को कर सकती है।**

महिलाओं के लैंगिक शोषण की शिकायतों का निवारण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक समिति बनी हुई है। इस समिति की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्या. रंजना प्रकाश देसाई है और उनके अलावा अन्य 6 महिला सदस्य है। पीड़ित महिलाये सदस्य सचिव रचना गुप्ता के माध्यम से शिकायतें दर्ज करा सकती है। वह पोष्ट के द्वारा, कूरियर के द्वारा, ई मेल के द्वारा और सीधे मुलाकात कर दर्ज करा सकती है।

- **कमजोर जांच के कारण यदि अपराधी दोषमुक्त होता है तो जांचकर्ता अधिकारी पर कार्यवाही होनी चाहिए।**

सर्वोच्च न्यायालय के न्या. सी के प्रसाद और न्या. जे एस खेहर कें खंडपीठ ने यह निर्णय दिया की अपराधिक मामले में हर अपराधी का छुट जाना न्याय व्यवस्था की नाकामी समझना चाहिए। न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि कमजोर जांच के कारण अपराधियों की छूटने की संख्या बढ़रही है। राज्य सरकारो को निर्देश दिये की 6 महिनो के भीतर अधिकारियों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करे जिससे यह सुनिश्चित हो की अपराधी को सजा होगी और निरपराधी फंसेगा नहीं। प्रशिक्षण के बाद यदि कोई जांचकर्ता पुलिस अधिकारी चूक करता है तो उस पर विभागीय कार्यवाही करना होगा।

- **राजनेताओं के प्रकरणों में एक वर्ष के भीतर निर्णय दे -**

सर्वोच्च न्यायलय विधायक और सांसद के विरूद्ध प्रकरण एक वर्ष के भीतर निपटाए जाए इस प्रकार के आदेश सर्वेच्च न्यायालय ने अपने निचली अदालतो को दिये है। इस के लिए यदि आवश्यकता हो तो रोज सुनवाई करे। यदि सेशन कोर्ट ने एक वर्ष के भीतर निपटारा नहीं किया तो उसे उच्च न्यायालय के समक्ष स्पष्टीकरण देना होगा। यह आदेश एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा दायर याचिका पर विचार करने के बाद दिया।

शायद एक वर्ष या उससे पहले यह आदेश दिया होता तो इस लोकसभा चुनाव में कुछ सांसद अपराध सिद्ध होनेपर चुनाव नहीं लड़पाते। अब दोषी सांसदों को एक वर्ष तक सत्ता भोगने का अवसर मिलेगा। देर से ही सही परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने ठोस कदम उठाए है।

समिति द्वारा सम्पन्न कार्यक्रम

बुद्ध धम्म संदेश रैली का समापन

चार माह तक निरंतर चली बुद्ध धम्म संदेश रैलि का दिनांक 11 फरवरी 2014 को धम्मागिरी, काजलानी (म.प्र.) पर समापन हुआ। दो वाहनो के माध्यम से भारत 9 राज्य मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़में बुद्ध धम्म और बाबासाहेब की विचारधारा का प्रचार किया गया। इस रैलि का मुख्य उद्देश था - हिन्दू धर्म के कारण लोगों में व्याप्त मानसिक गुलामी का अहसास कराना और उसे त्यागने के लिए प्रवृत्त करना, बाबासाहेब द्वारा लिखित ग्रंथ 'बुद्ध और उनका धम्म' के अनुसार धम्म को समझना और वैसेही पालन करने के लिये प्रवृत्त करना, ब्राह्मणवादियों द्वारा बुद्ध धम्म में की जा रही मिलावट से लोगो को सावधान करना।

यह देखा गया है कि बहुत से लोग स्वयं को बौद्ध कहलाते है परंतु वह अभी भी हिन्दू है क्योंकि वह हिन्दू धर्म का पालन करते है। ऐसे लोगों को उनकी मानकिस गुलामी का अहसास हुआ। किसी प्रज्ञाहीन भिक्खू या उपासक ने जिसप्रकार से धम्म के विषय में बताया उसे लोग अज्ञानता वश स्वीकार कर धम्म की शिक्षा के विपरीत आचरण करते है। ऐसे लोगों ने बाबासाहेब द्वारा बताई गई धम्म की शिक्षा को जानकार वैसाही आचरण करेंगे ऐसा आश्वासन दिया। ब्राह्मण वादियो द्वारा धम्म के विपरीत शिक्षा को बुद्ध की शिक्षा बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाया जा रहा है रहा है ऐसे लोगो को बुद्ध के प्रवचन और बाबासाहेब के भाषण और लेखन का हवाला देते हुए समझाने पर उनकी आंखे खुली। अक्सर विपश्यना के जाल में फंसे हुए लोगों ने बहस करने की कोशिश की । उनमें से बहुत कम जो बुद्ध और बाबासाहेब के विचारों को समझने की क्षमता नहीं रखतें ऐसे लोगों को छोड़कर बाकी सभी ने बुद्ध और बाबासाहेब के विचारो को समझा। यह इस रैलि की उपलब्धि है।

बुद्ध धम्म महोत्सव 2014

प्रतिवर्षानुसार माघ पुर्णिमा के अवसर पर तीन दिवसीय बुद्ध धम्म महोत्सव का आयोजन किया गया। 12 से 14 फरवरी 2014 को धम्मगिरी, काजलवानी, तह. सौसर, जी. छिंदवाडा (म.प्र) पर बुद्ध धम्म महोत्सव का आयोजन किया गया।

दिनांक 12-2-2014 को बौद्ध युवा सम्मेलन का

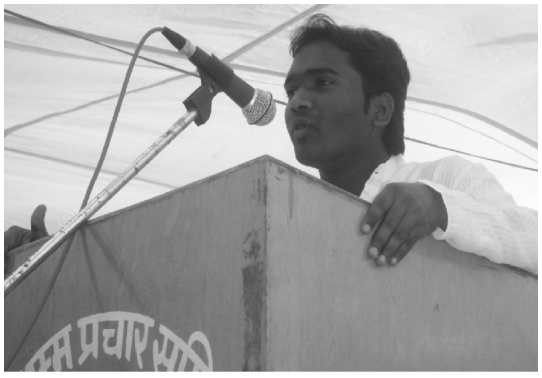

आयोजन किया गया। युवा वक्ता प्रशांत सुखदेवे (छत्तिसगढ़), चंद्रमोहन गौतम (उ.प्र.), अमोलकुमार बोधिराज (महाराष्ट्र) और अत्तदीप अंबादे (महाराष्ट्र) द्वारा बाबासाहेब और बुद्ध के विचारों को बताते हुए युवाओं को धम्म कार्य करने हेतु प्रेरित किया । इस सम्मेलन की अध्यक्षता पुना के कपिल सरोदे द्वारा की गई। उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में युवाओं को बुद्ध और बाबासाहेब के विचारो में ढालने तथा उनका

इनसे मुक्त ोने की सलाह दी। इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. नीलिमा चौहान ने की। उन्होंने कहाँ की सम्यक दृष्टि का अभ्यास करने से आदमी के अज्ञान का नाश होता है और

प्रचार प्रसार करने के लिए आव्हान किया।

दिनांक 13-02-2014 को बौद्ध महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के प्रथम सत्र का विषय था, 'अंधविश्वास, चमतकार, पुजापाठ, संस्कार और त्योहार से मुक्त हाकर ही बुद्ध धम्म का आचरण संभव है' । इस विषय पर संध्या राजुरकर द्वारा अनेक उदाहरण देकर अंधविश्वास के दुष्परिण्णामें को बताया और महिलाओं को

आदमी अंधविश्वास से मुक्त होता है। उन्होंने इस बात पर समाधान व्यक्त किया की महिलाओं को बार-बार समझाने से उनमे परिवर्तन आ रहा है।

महिला सम्मेलन के दूसरे सत्र में आगरा से पधारी हुई मनोरमा बौद्ध द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का बोध कराया। उन्होंने महिलाओं को धम्म प्रचार के कार्य में भाग लेने हेतु प्रेरित किया । इस सत्र की अध्यक्षता प्रसिद्ध समाज सेविका डॉ. कुसुम मेघवाल ने की। उन्होंने अपने कार्य का अनुभव बताया और महिलाओं को ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन में भागीदारी करने को कहा। महिला और पुरूष ने साथ लिकर चलना है तथा सभी संगठनो ने एकसाथ मिलकर ब्राह्मण वाद के बड़ा आंदोलन खड़ा करने पर जोर दिया।

दिनांक 14-02--2014 को विद्वान वक्ताओं द्वारा अपने विषयों पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए । धम्मचारी अमृतसिद्धी

द्वारा बाईस प्रतिज्ञा बौद्धों की आचार संहिता इस विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने बाईस प्रतिज्ञाओ को तीन भागो में बांटकर बड़ी अच्छी तरह समझाया। एड् शिवराज कोलिकर द्वारा बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार की आवश्यकता को समझाया । राजू कदम द्वारा बुद्ध की सामाजिक और नैतिक शिक्षा को समझाया। राजू कदम द्वारा बुद्ध की सामाजिक और नैतिक शिक्षा को समझाया। उन्होंने बाबासाहेब के भाषण और लेखन के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया की ध्यान और साधना किस प्रकार घातक है। विपश्यना बुद्ध की शिक्षा नहीं है परंतु उसे बुद्ध की शिक्षा बताकर प्रचारित किया जा रहा है। यह आंबेडकरी आंदोलन समाप्त करने का षडयंत्र है इसे उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समझाया।

इस प्रबोधन सत्र की अध्यक्षता पिछड़ा वर्ग द्वारा धम्म दीक्षा अभियान के मार्गदर्शक हनुमंत उपरे द्वारा की गई। उन्होंने मुक्ता सालवे नामक छोटी लड़की का उदाहरण प्रस्तुत कर कहा की हमारा धर्म नहीं है हमारा धम्म है। बाबासाहेब द्वारा दी गई बाईस प्रतिज्ञाओं का महत्व बताते हुए उन्हेांने कहा की यह प्रतिज्ञाएं हमें अंधेरे से उजाले की और ले जाती है। ओ बी सी द्वारा बुद्धधम्म की दीक्षा लेने का मकसद बताते हुए उन्होंने कहा की हम सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए और बौद्धिक परिवर्तन के लिए बुद्ध धम्म की दीक्षा लेना चाहते है।

बुद्ध धम्म महोत्सव में देश के अनेक राज्यों से लोग आए थे। रूकने की तथा भोजन की व्यवस्था से सभी प्रसन्न थे। ज्ञानवर्धक प्रवचन सुनकर सभी लाभान्वित महसूस कर रहे थे। बुद्ध और बाबासाहेब की शिक्षा की प्रेरणा से भरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लोगो ने आनंद लिया।

घोषणापत्र

फार्म *IV* (नियम 8)

1)	प्रकाशन का स्थान	:	नागपुर
2)	प्रकाशन का नियतकाल	:	त्रैमासिक
3)	मुद्रक का नाम	:	प्रज्ञा प्रिन्टर्स
	क्या भारतीय है	:	हां
	पता	:	केशव काम्पलेक्स, 10 नंबर पुल, कामठी रोड, नागपुर - 440 017.
4)	प्रकाशक का नाम	:	हृदेश सोमकुवर
	क्या भारतीय है	:	हां
	पता	:	363, बाबा बुद्धाजी नगर, कामठी रोड, नागपुर - 440 017.
5)	संपादक का नाम	:	हृदेश सोमकुवर
	क्या भारतीय है	:	हां
	पता	:	363, बाबा बुद्धाजी नगर, कामठी रोड, नागपुर - 440 017.
6)	समाचार पत्र के मालिकों के नाम और पत्ते और भागीदार या अंशधारक हिस्सा पूरी पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक है	:	बुद्ध धम्म प्रचार समिति कार्यालय - बुद्ध विहार के सामने, डॉ. आंबेडकर वार्ड, सौसर, जि. छिन्दवाडा (म.प्र.)- 480 106.

मैं, हृदेश सोमकुवर घोषणा करता हूं कि, उपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

नागपुर
दि. 31 मार्च 2014

(हृदेश सोमकुवर)
प्रकाशक के हस्ताक्षर

समिति द्वारा आगामी कार्यक्रम

बुद्ध धम्म प्रचार समिति
कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर

दिनांक : 06 से 10 अप्रैल 2014
स्थान : 'बोधिसत्व नागार्जुन महाविहार', रामटेक, जि. नागपुर.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक महान संकल्प लिया था- **'मैं संपूर्ण भारत बौद्धमय करूंगा'।** इसका अर्थ है मैं संपूर्ण भारत को सदाचारी और सुखी राष्ट्र करूंगा। बाबासाहेब ने अपने जीवन में हमेशा बड़े संकल्प लिये और अनेक मुसीबतों के बावजुद उन्हें पूरा किया। यदि वह जीवित रहते तो इस संकल्प को भी पूरा करते। उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब उनके अनुयायीयों की है। यदि हम बाबासाहेब के सच्चे अनुयायी है तो हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ बुद्ध धम्म का प्रचार करना होगा ताकि भारत की जनता उसे स्वीकार करे और भारत बौद्धमय हो।

बुद्ध धम्म का प्रचार करते समय हमें बाबासाहेब के आन्दोलन का और बुद्ध के धम्म का सही-सही ज्ञान होना जरूरी है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर बुद्ध धम्म प्रचार समिति द्वारा **5 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर** का आयोजन किया गया है। अपने कर्तव्य का अहसास है ऐसे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि, इस शिविर में सम्मिलित होकर बाबासाहेब द्वारा संकल्पीत महान कार्य के सहयोगी बने।

प्रशिक्षण शिविर में आंबेडकरी आन्दोलन, बुद्ध और उनका धम्म, बाईस प्रतिज्ञा, वर्तमान स्थिति, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी इत्यादि विषयोंपर प्रशिक्षण होगा। साथ ही प्रश्नोंत्तर और सामुहिक चर्चा होगी।

अध्यक्ष/सचिव
बुद्ध धम्म प्रचार समिति
मो. नं. 09753899561/08458941227

नोट : 1. प्रशिक्षण खर्च हेतु प्रत्येक कार्यकर्ता कम से कम 500 रूपये की सहयोग राशी जमा करेंगे।

2. जो कार्यकर्ता किसी कारणवश नहीं आ सकते वह अपने क्षेत्र के इच्छुक कार्यकर्ताओं को आर्थिक सहायता देकर शिविर में भेजे।
3. साथ में नोट-बुक,पेन, टार्च और 2 बेडशीट लावे।
4. समय और अनुशासन का ध्यान रखे और पूरे समय शिविर में उपस्थित रहे।
5. दिनांक 06.04.2014 को सुबह 10.00 बजे तक शिविर स्थल पर पहुंचे या सुबह 8.00 बजे तक नागपुर पहुंचे।

   दिनांक 06.04.2014 को सुबह 8.00 बजे 'कस्तुरचंद पार्क' नागपुर से प्रशिक्षण स्थल पर समिति के वाहन द्वारा पहुंचाया

   जायेगा तथा दिनांक 10.04.2014 को शाम 6.00 बजे प्रशिक्षण स्थल से नागपुर पहुंचाया जायेगा।

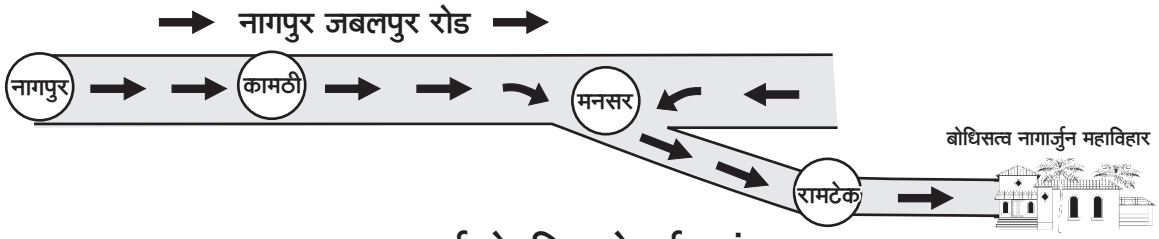

सम्पर्क के लिए मोबाईल नंबर

09970616106, 09860282936, 09423102300,
09423111353, 09422137540

कृपया स्विकृति पत्र निम्नलिखित पत्ते पर शिघ्र भेजे।

केशव सोमकुवर,
363, बाबा बुद्धाजी नगर, कामठी रोड, नागपुर-440 017.

स्विकृति पत्र

मैं _____

निवासी _____

06.04.2014 से 10.04.2014 तक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लूंगा।

हस्ताक्षर

दिनांक : .....

मो. नं. .....

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का साहित्य प्रकाशन हेतु हस्ताक्षर अभियान

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का पूरा साहित्य महाराष्ट्र सरकार के स्वाधीन है। उसमें से अबतक कुछ साहित्य 22 खंडो में प्रकाशित किया गया है। बाबासाहेब का बहुतसा साहित्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभी प्रकाशित नहीं किया गया।

बाबासाहेब के विचार मौलिक और मानवकल्याणकारी है। वह प्रकाशित नहीं होने के कारण जनता उनसे वंचित है। वह प्रकाशित हो इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि 6 अप्रैल 2014 तक लाखों लोगों के हस्ताक्षर प्राप्त कर समिति के कार्यकर्ता को निम्मलिखित पते पर भेजे ताकि समिति उन्हें मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार को सौंप सके। इस महान कार्य के लिए आपका योगदान अपेक्षित है।

हस्ताक्षर भेजने का पता :

के. सोमकुवर,

363, बाबा बुद्धाजी नगर, कामठी रोड, नागपुर - 440 017.

मोबा. 09970616106

विनित : बुद्ध धम्म प्रचार समिति